पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 नवम्बर, 2022 ई0 (कार्तिक 14, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–45

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	829–860	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	839–840	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	535–558	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–2

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

15 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 49878 / XX-2-190 / 2022–1(64) / 2018–उत्तराखण्ड कारागार विभाग में फार्मासिस्ट संवर्ग के अन्तर्गत फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत श्री अनिल सिंह सजवाण, को नियमित चयनोपरान्त चीफ फार्मासिस्ट वेतनमान रू0 56,100–1,77,500 (लेवल–10) के रिक्त 01 पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अनिल सजवाण को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–चीफ फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सजवाण द्वारा उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान जिला कारागार, देहरादून में कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

श्री सजवाण, कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना महानिरीक्षक कारागार के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–04

अधिसूचना

17 अगस्त, 2022 ई0

संख्या I / 56691 / XX-4 / 2022–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के अध्याय–2, धारा–3 के अनुसार सी0आर0पी0सी0 की धारा–11 के अन्तर्गत साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, देहरादून (गढवाल परिक्षेत्र) में पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट–II, देहरादून को विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने विषयक शासन की अधिसूचना संख्या–1 / 52168 / XX–4 / 2022, दिनांक 25.07.2022 में आंशिक संशोधन करते हुये साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, देहरादून (गढ़वाल परिक्षेत्र) में पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट–I, देहरादून को विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

31 अगस्त, 2022 ई0

संख्या 981/XX-1-2022–2(31)2003–उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम–4(2) के द्वितीय परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन, भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में, अपर पुलिस महानिदेशक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर–15 का 01 पद, दिनांक 01.01.2023 से एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्तानुसार सृजित अस्थायी पद के कर्तव्य एवं दायित्व संवर्गीय पदों के समान होंगे तथा उक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नत होने वाले अधिकारी की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने की दशा में उक्त पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

कार्यालय ज्ञाप

31 अगस्त, 2022 ई0

संख्या 982/XX-1-2022–2(31)2003–उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम–4(2) के द्वितीय परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन, भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में, पुलिस महानिरीक्षक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर–14 के 03 पद, दिनांक 01.01.2023 से एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्तानुसार सृजित अस्थायी पद के कर्तव्य एवं दायित्व संवर्गीय पदों के समान होंगे तथा उक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नत होने वाले अधिकारी की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने की दशा में उक्त पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 1154/XX-1/2022–01(15) 2021 टी.सी.–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के उपनियम (ट) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगें, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ट) "चयन आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।	(ट) चयन आयोग से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था/आयोग अभिप्रेत है।

नियम 5 का संशोधन

2. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उप नियम–(अ)(1), उपनियम–(अ)(2) एवं उपनियम–(अ)(2)(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(अ)(1) पचास (प्रतिशत) पदों को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(अ)(1) पचास (प्रतिशत) पदों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था/आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(अ)(2) पचास (50) प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता क आधार पर पदोन्नति	(अ)(2) पचास (50) प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से

के माध्यम से निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पुरूष/महिला मुख्य आरक्षी से संवर्गवार पदोन्नति द्वारा।	निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अपर उप निरीक्षक (Additional Sub Inspector) {नागरिक पुलिस/अभिसूचना} से संवर्गवार पदोन्नति द्वारा।
(अ)(2)(क) ऐसे मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस/अभिसूचना (पुरूष/महिला) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मुख्य आरक्षी के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(अ)(2)(क) ऐसे अपर उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस/अभिसूचना (पुरूष/महिला) जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को अपर उप निरीक्षक के पद पर 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1154/XX-1/2022-01(15) 2021 T.C.**, dated October 20, 2022 for general information.

NOTIFICATION

October 20, 2022

No. 1154/XX-1/2022-01(15) 2021 T.C.--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2008 (Act no. 1 of 2008) the Governor is, in a view to amend the Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence) Service Rules, 2018 makes the following rules:–

The Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence) Service (Amendment) Rules, 2022

Short title, and commencement	1.	(1) These rules may be called the Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence) Service (Amendment) Rules, 2022. (2) It shall come in to force at once.
Amendment of rule 3	2.	In the Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence) Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing clause(k) of rule 3 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(k) **"Selection Commission"** means The Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission.	(k) **"Selection Commission"** means the Institution/Commission authorized by State Government.

Amendment of rule 5	**3.**	In the principal rules for the existing sub rule (A)(1), sub rule(A)(2) and sub rule(A)(2)(a) of rule 3 as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(A)(1). 50 percent post through the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission by direct recruitment.	(A)(1). 50 percent post through Institution/Commission authorized by State Government by direct recruitment.
(A)(2). 50 percent posts shall be filled by promotion on the basis of departmental examination of such male and female head constable/constable employees of civil police/intelligence fulfilling the following eligibility criteria: -	(A)(2). 50 percent posts shall be filled caderwise by promotion rejecting the unfit on the basis of seniority amongst such Additional Sub Inspector (civil police/intelligence) fulfilling the following eligibility criteria: -
(a) Such male/female constable must have completed five years of service as on the first day of the year of recruitment.	(a) Such male/female constable must have completed 02 years of service as on the first day of the year of recruitment.

अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 1155/XX-1/2022–01(15) 2021 टी.सी.—राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 3 धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा अपर उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा अपर उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नाम में परिवर्तन

2. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली, 2018 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नाम को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

"उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा अपर उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली, 2018"

नियम 2 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।	2. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा अपर उप निरीक्षक सेवा ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

नियम 3 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के उपनियम (ट) एव (ड) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(ट) "सेवा" से उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा अभिप्रेत है, (ड) "चयन आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।	3(ट) "सेवा" से उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा अपर उप निरीक्षक सेवा अभिप्रेत है, (ड) "चयन आयोग" से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था/आयोग अभिप्रेत है।

नियम 5 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नियम 5 के उपनियम (2) के पश्चात् नया उप नियम (3) को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(3) अपर उप निरीक्षकः–

अपर उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला)/ अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) के रिक्त पदों पर शत्–प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर संवर्गवार ऐसे मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला)/अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे, जो चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी के पद पर 02 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके हों।"

नियम 13 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी:– (एक) व्यापक परिचालन वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके: (दो) कार्यालय के सूचना–पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा: (तीन)रोजगार कार्यालय को रिक्तियों अधिसूचित करके।	रिक्तियों की अवधारणा के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तयों की संख्या नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना राज्य सरकार द्वारा भर्ती हेतु प्राधिकृत संस्था/आयोग को देगा।

नियम 24 का संशोधन

7. मूल नियमावली में नियम 24 के खण्ड (ख) के पश्चात् नये खण्ड (ग) एवं (घ) को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

(ग) अपर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला)/अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों पर शत्– प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर संवर्गवार ऐसे मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला)/ अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे जो चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी के पद पर 02 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके हों।
(घ) अपर उप निरीक्षक के रिक्त पदों पर शत् प्रतिशत पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर परिशिष्ट–7 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

नियम 25 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
25. ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी, जिन्होने मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के सन्दर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हे उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान), सहायक उपनिरीक्षक (एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे एवं कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।	25. अपर उप निरीक्षक की वर्दी एवं कार्यों का निर्धारणः– अपर उपनिरीक्षक पदधारक उपनिरीक्षक की भॉति वर्दी धारण करेंगे परन्तु सीटी एवं डोरी काले रंग की होगी। अपर उप निरीक्षक पदधारकों के कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

नियम 27 का संशोधन

9. मूल नियमावली में नियम 27 के खण्ड (ग) के पश्चात् नये खण्ड (घ) एवं (ड) को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(घ) एक ही चयन वर्ष में विभागीय चयन परीक्षा से नियुक्त मुख्य आरक्षी एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस/अभिसूचना /सशस्त्र पुलिस) की संवर्गवार ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिये निहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम (प्रथम स्थान ज्येष्ठता से पदोन्नत व्यक्ति का होगा) में निर्धारित की जायेगी।
(ड़) अपर उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी पद पर निर्धारित संवर्गवार अंतिम ज्येष्ठता के अनुसार रहेगी।"

नियम 28 का संशोधन

10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 28 के उप नियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

28(क) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना)

पदनाम	वेतनमान
मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष)	रू0 25500–81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस (महिला)	रू0 25500–81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
मुख्य आरक्षी अभिसूचना	रू0 25500–81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष)	रू0 21700–69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3
आरक्षी नागरिक पुलिस(महिला)	रू0 21700–69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3
आरक्षी अभिसूचना	रू0 21700–69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3

(ख) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (सशस्त्र पुलिस)

पदनाम	वेतनमान
मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस (यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि)	रू0 25500 – 81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
आरक्षी सशस्त्र पुलिस (यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि)	रू0 21700–69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

28(क) अपर उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना)

पदनाम	वेतनमान
अपर पुलिस उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष)	रू0 35400– 112400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–6
अपर उपनिरीक्षक ना0पु0(महिला)	रू0 35400– 112400 वेतन मैट्रिक्स लेवल– 6
अपर उपनिरीक्षक अभि0(पुरूष / महिला)	रू0 35400–112400 वेतन मैट्रिक्स लेवल– 6
मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष)	रू0 25500 – 81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस (महिला)	रू0 25500– 81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
मुख्य आरक्षी अभिसूचना	रू0 25500– 81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष)	रू0 21700– 69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3
आरक्षी नागरिक पुलिस(महिला)	रू0 21700– 69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3
आरक्षी अभिसूचना	रू0 21700– 69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3

(ख) अपर उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (सशस्त्र पुलिस)

पदनाम	वेतनमान
अपर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि)	रू0 35400– 112400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–6
मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस (यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि)	रू0 25500 – 81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
आरक्षी सशस्त्र पुलिस (यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि)	रू0 21700–69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3

नियम 31 का संशोधन

11. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 31 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
31. प्रत्येक आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी का स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार किया जायेगा।	31. प्रत्येक आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं अपर उप निरीक्षक का स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार किया जायेगा।

परिशिष्ट–8 का संशोधन

12. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट 8 के प्रस्तर (6) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
(6) पदोन्नति आदेश निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण /व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/ अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किये जायेगें।	(8) मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/ अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के पद हेतु चयनित आरक्षियों को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/ अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किये जायेगें। तदोपरान्त आधारभूत प्रशिक्षण/व्यवहारिक कराया जायेगा।

परिशिष्ट–7
नियम–24(ग)(घ) देखें
ज्येष्ठता के आधार पर अपर उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

पदोन्नति का आधार	1. पदोन्नति का आधार अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर होगा।
काडर विभाजन	2. अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आवंटित हो गया हो तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में नियुक्त हो ।
सेवा अभिलेख	3. सेवा अभिलेख विगत 05 वर्षो का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक सन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में दीर्घ दण्ड एवं लघु दण्ड से दण्डित न किया गया हो तथा विगत 05 वर्ष में सत्यानिष्ठा न रोकी गयी हो। परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित/लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन/ विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता है, तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे कर्मी की अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके सम्बन्ध में विचार किया जायेगा तथा उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील–बन्द कर दिया जायेगा। जांच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
ज्येष्ठता का निधारण अंतिम ज्येष्ठता के अनुसार रहेगी।	4. अपर उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी पद पर निर्धारित संवर्गवार
पदोन्नति आदेश	5 अपर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के पद पर चयनित मुख्य आरक्षियों को अपर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नत किये जाने विषयक आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त आधारभूत प्रशिक्षण/व्याहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा।
प्रशिक्षण	6. अपर उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को ऐसा अधारभूत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1155/XX-1/2022-01(15) 2021 T.C.**, dated October 20, 2022 for general information.

NOTIFICATION

October 20, 2022

No. 1155/XX-1/2022-01(15) 2021 T.C.--In exercise of the powers conferred by section 3 read with sub-section (1) of section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act no. 1 of 2008), the Governor is makes the following rules with a view to amend the Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service Rules, 2018:--

The Uttarakhand Police Constable, Head Constable and Additional Sub-Inspector (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service (Amendment) Rules, 2022

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Police Constable Head Constable and Additional Sub-Inspector (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) It shall come into force at once.

Alteration in name

2. In the Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the principal rules) shall be substituted the name as follows, namely:-
"Uttarakhand Police Constable and Head Constable and Additional Sub-Inspector (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service Rules, 2018"

Amendment of rule 2

3. In the principal rule, for the existing rule 2 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
2. The Uttarakhand Police Constable and Head Constable service is a service comprising Group "C" posts.	2. The Uttarakhand Police Constable, Head Constable and Additional Sub-Inspector service is a service comprising Group "C" posts.

Amendment of rule 3

4. In the principal rule, for the existing sub-rule (k) and (n) of rule 3 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
3(k). "Service" means the Uttarakhand Police Constable and Head Constable service; (n) "Selection Commission" means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission.	3(k). "Service" means the Uttarakhand Police Constable, Head Constable and Additional Sub-Inspector service; (n) "Selection Commission" means institution/commission authorized by the State Government.

Amendment of rule 5

5. In the principal rule, after ofsub-rule (2) rule 5, a new rule 5(3) shall be inserted as follows, namely:-;

" (3).Cadre wise such Head Constable (Civil Police (Male/Female)/ Intelligence and Armed Police) shall eligible for promotion on the vacant posts of Additional Sub-Inspector (Civil Police (Male/Female)/ Intelligence and Armed Police), who have completed the qualifying service of 2 years on the post of Head Constable on the first day of July of the selection year on the basis of 100 percent by seniority, subject to the rejection of unfit."

Amendment of rule 13

6. In the principal rule, for the existing rule 13 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
The vacancies for direct recruitment shall be notified in the following manner:- (i) By making advertisement in at least 02 daily newspaper which has got wide circulation; (ii) By affixing notice on the notice board of each Office and by advertisement through radia/doordarshan and other employment news paper. (iii) By notifying vacancies to employment office.	13. The Appointment Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other Categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6, the vacancies to be filled inform the institution/commission shall be intimated to them.

Amendment of rule 24

7. In the principal rule, after clause (b) of rule 24, a new clause (c) and (d) shall be inserted as follows, namely:-

"(c) Cadre wise such Head Constable (Civil Police (Male/Female)/ Intelligence and Armed Police) shall eligible for promotion on the vacant posts of Additional Sub-Inspector (Civil Police (Male/Female)/ Intelligence and Armed Police), who have completed the qualifying service of 2 years on the post of Head Constable on the first day of July of the selection year on the basis of 100 percent by seniority, subject to the rejection of unfit.

(d). 100 percent by promotion on the vacant posts Additional Sub-Inspector shall be done as per the procedure given in Appendix 7 on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.

Amendment of rule 25

8. In the principal rule, for the existing rule 25 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-;

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
25. Such trained Head Constable who have completed 16 years of regular and satisfactory service in their original post (including their	25. The Additional Sub-Inspector incumbent shall wear the uniform like the Sub-Inspector, but the whistle and string shall be of black colour. Works of

service as constable) who have been sanctioned the pay scale of similar post of Sub-Inspector shall be given the name of Head Constable (promotional pay-scale)
The uniform of Head Constable shall (promotional pay-scale) shall be same as Assistant Sub-Inspector (M) and work shall be determined by the head of department.

Additional Sub-Inspector incumbent shall be determination by the head of department.

Amendment of rule 27

9. In the principal rule, after clause (c) of rule 27, a new clause (d) and (e) shall be inserted as follows, namely:-

"(d). The cadre wise seniority of the Head Constable appointed by the departmental selection examination in the same selection year and the Head Constable (Civil Police/Intelligence/Armed Police) promoted on the basis of seniority, as far as possible, the quota for both the sources shall be determined by rotation (the first place shall be given to the person promoted by seniority).

(e). The Seniority of the Additional Sub-Inspector shall remain as per the final seniority of the cadre wise fixed on the post of Head Constable."

Amendment of rule 28

10. In the principal rule, for the existing rule 28 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1

Existing rule

28(a) Head Constable and Constable (Civil Police and Intelligence)

Designation	Pay Scale
Head Constable Civil Police (Male)	Rs. 25500-81100, Pay Matrix Level 4
Head Constable Civil Police (Female)	Rs. 25500-81100, Pay Matrix Level 4
Head Constable Intelligence	Rs. 25500-81100, Pay Matrix Level 4
Constable Civil Police (Male)	Rs. 21700-69100, Pay Matrix Level 3
Constable Civil Police (Female)	Rs. 21700-69100, Pay Matrix Level 3
Constable Intelligence	Rs. 21700-69100, Pay Matrix Level 3

Column 2

Rules here by substituted

28(a) Additional Sub-Inspector , Head Constable and Constable (Civil Police and Intelligence)

Designation	Pay Scale
Additional Sub-Inspector, Civil Police (Male)	Rs. 35400-112400, Pay Matrix Level 6
Additional Sub-Inspector, Civil Police (Female)	Rs. 35400-112400, Pay Matrix Level 6
Additional Sub-Inspector, Intelligence (Male/Female)	Rs. 35400-112400, Pay Matrix Level 6
Head Constable Civil Police (Male)	Rs. 25500-81100, Pay Matrix Level 4
Head Constable Civil Police (Female)	Rs. 25500-81100, Pay Matrix Level 4
Head Constable Intelligence	Rs. 25500-81100, Pay Matrix Level 4
Constable Civil Police (Male)	Rs. 21700-69100, Pay Matrix Level 3
Constable Civil Police (Female	Rs. 21700-69100, Pay Matrix Level 3
Constable Intelligence	Rs. 21700-69100, Pay Matrix Level 3

(b) Head Constable and Constable (Armed Police)

Designation	Pay Scale
Head Constable Armed Police (Traffic, BDS, Jal Police etc.)	Rs. 25500-81100, Pay Matrix Level 4
Constable Armed Police (Traffic, BDS, Jal Police etc.)	Rs. 21700-69100, Pay Matrix Level 3

(b) Additional Sub-Inspector Head Constable and Constable (Armed Police)

Designation	Pay Scale
Additional Sub-Inspector Armed Police (Traffic, BDS, Jal Police etc.)	Rs. 35400-112400, Pay Matrix Level 6
Head Constable Armed Police (Traffic, BDS, Jal Police etc.)	Rs. 25500-81100, Pay Matrix Level 4
Constable Armed Police (Traffic, BDS, Jal Police etc.)	Rs. 21700-69100, Pay Matrix Level 3

Amendment of rule 31

11. In the principal rule, for the existing rule 31 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
31. Every Constable and Head Constable shall compulsory go under medical examination according to the Government Order at that time. The medical examination shall be carried out by the Chief Medical Officer under suitable rules.	31. Every Constable, Head Constable and Additional Sub-Inspector shall have to get compulsory medical test as per Government Order issued by Government. Medical test shall be carried out as per rules by the Chief Medical Officer.

Amendment of Appendix- 8

12. In the principal rule, for the existing Para (6) of Appendix 8 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-;

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
(6) The order of promotion of the personnel, who has passed the determined basis training/professional training successfully on the post of Head Constable Civil Police/ Intelligence and Armed Police, shall be issued at the Head Quarters level	(6) Selected Constable for the post of Head Constable Civil Police/Intelligence and Armed Police, promotion order to the post of Head Constable Civil Police/Intelligence and Armed Police shall be issued from the headquarters level. Thereafter basic training/practical shall be done.

Appendix-7

(See rule-24(c) (d))

Procedure of promotion on the post of Additional Sub-Inspector (Civil Police, Intelligence and Armed Police) on the basis of seniority

Basis of promotion

1. The promotion shall be made on seniority the basis of rejection of unfit.

Cadre division

2. A candidate has finally allotted the State of Uttarakhand by the Government of India and currently appointed in Uttarakhand.

Service Record

3. The service records for the last 05 years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found to be recorded, no major punishment has been awarded during the last 05 years, no minor punishment has been awarded during the last 05 years and the integrity has not been withheld during the last 05 years:

Provided that personnel against whom any departmental proceedings/ inquiry is pending or offence is registered or any kind of appeal is pending or the period of appeal has not elapsed shall also be conditionally included in the promotion on the basis of seniority, If the personnel's appeal is rejected/cancelled from the middle of the promotion process or is punished in the departmental proceedings/ prosecution, then concerned personnel files any writ petition against them, and concerned personnel is fail to inform regarding filing the writ petition to the department on time, then, he/she shall be excluded from the selection process at that level, If the candidate's appeal / departmental proceedings / writ petition is not disposed of during the examination promotion process, his promotion result will be sealed in the envelope in anticipation of the decision of the pending appeal departmental proceedings. Only after the appeal/departmental proceedings are over or the final decision is taken in the case, the sealed envelope of the concerned personnel shall be opened, corresponding to the decision. Suspended personnel shall also be included in the promotion process in anticipation of the decision.

Determination of Seniority

4. Seniority of Additional Platoon Commander shall be as per seniority finally determined on the post of Head Constable.

Order of Promotion

5. On the post of Additional Sub-Inspector (Civil Police, Intelligence and Armed Police), to Head Constable selected for subject to promotional order on the post of Additional Sub-Inspector (Civil Police, Intelligence and Armed Police) shall be issued by headquarters level. After that basic training/practical training shall be given.

Training

6. Personnel promoted on the post of Additional Sub-Inspector (Civil Police, Intelligence and Armed Police)shall be given such basic training and practical training as may be prescribed by the head of department.

अधिसूचना

प्रकीर्ण

20 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 1156/XX-1/2022–01(15) 2021 टी.सी.–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 13 सपठित धारा 87 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी (पीएसी/आईआरबी) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह–ग के पद समाविष्ट हैं।	उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी (पीएसी एवं आईआरबी) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, अपर गुल्मनायक, गुल्मनायक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह–ग के पद समाविष्ट हैं।

नियम 3 का संशोधन 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के खण्ड (ल) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ल) "चयन आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अभिप्रेत है।	(ल) "चयन आयोग" से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था/आयोग अभिप्रेत है।

नियम 5 का संशोधन 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम (ग) को निम्नानुसार अन्तःस्थापित एवं पूर्व नियम 5(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

"5(ग) अपर गुल्मनायक पीएसी/आईआरबी के रिक्त पदों पर शत्–प्रतिशत् ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर संवर्गवार ऐसे मुख्य आरक्षी (पीएसी/आईआरबी) पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे, जो चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी पीएसी/आईआरबी के पद पर 2 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके हों।"

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(ग) गुल्मनायक (1) पचास (50) प्रतिशत पदों को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।	5(घ)(1) गुल्मनायक पचास (50) प्रतिशत पदों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।
(2) पचास (50) प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के मुख्य आरक्षी से संवर्गवार पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। क– ऐसे मुख्य आरक्षी (पुरूष/महिला) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मुख्य आरक्षी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(2) पचास (50) प्रतिशत पदों को अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले पी0ए0सी0 (पुरूष/ महिला), आई0आर0बी0 के अपर गुल्मनायक एवं सशस्त्र पुलिस के अपर उप निरीक्षक से संवर्गवार पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। (क) ऐसे अपर गुल्मनायक पीएसी /आईआरबी जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को अपर गुल्मनायक के पद पर 2 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो।

नियम 7 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7. रिक्तियों की अवधारणा– सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी– (एक) व्यापक परिचालन वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके (दो) कार्यालय के सूचना–पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा (तीन)रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की सूचना देकर।	7. रिक्तियों की अवधारणा– रिक्तियों की अवधारणा के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना राज्य सरकार द्वारा भर्ती हेतु प्राधिकृत संस्था/आयोग को देगा।

नियम 22 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम एवं खण्ड (ग) एवं (घ) को निम्नानुसार अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) पीएसी में स्वीकृत महिला कम्पनियों में महिला दलनायक, महिला गुल्मनायक एवं महिला मुख्य आरक्षियों की पदोन्नति पीएसी की महिला अभ्यर्थियों से ही की जायेगी : परन्तु यह कि दलनायक की पदोन्नति हेतु महिला प्लाटून कमाण्डर भी ज्येष्ठता के आधार पर पुरूष कमाण्डर की भांति पात्र होंगी।	(ख) पीएसी में स्वीकृत महिला कम्पनियों में महिला दलनायक, महिला गुल्मनायक, महिला अपर गुल्मनायक एवं महिला मुख्य आरक्षियों की पदोन्नति पीएसी की महिला अभ्यर्थियों से ही की जायेगी : परन्तु यह कि दलनायक की पदोन्नति हेतु महिला प्लाटून कमाण्डर भी ज्येष्ठता के आधार पर पुरूष कमाण्डर की भांति पात्र होंगी। (ग) अपर गुल्मनायक पीएसी/आईआरबी के रिक्त पदों पर शत्–प्रतिशत् ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर संवर्गवार ऐसे मुख्य आरक्षी (पीएसी/आईआरबी) पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे, जो चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी पीएसी/आईआरबी के पद पर 2 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके हों। (घ) अपर गुल्मनायक के रिक्त पदों पर शत् प्रतिशत पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर परिशिष्ट–12 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

नियम 23 का संशोधन 7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
23. ऐसे समस्त प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी, जिन्होंने मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के सन्दर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हे उप निरीक्षक का वेतनमान स्वीकृत हो चुका है को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का नाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान), सहायक उपनिरीक्षक (एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे एवं कार्यों का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।	23. अपर गुल्मनायक की वर्दी एवं कार्यों का निर्धारण:– अपर गुल्मनायक पदधारक गुल्मनायक की भॉति वर्दी धारण करेंगे परन्तु सीटी एवं डोरी काले रंग की होगी। अपर उप निरीक्षक पदधारकों के कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

नियम 25 का संशोधन 8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 25 के निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
25. गुल्मनायक के 50 प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले पी.ए.सी. (पुरूष/महिला), आई.आर.बी. एवं स.पु. के मुख्य आरक्षी से संवर्गवार पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे:–	25. गुल्मनायक के 50 प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 के अपर गुल्मनायक एवं सशस्त्र पुलिस के अपर उप निरीक्षक से संवर्गवार पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे–

नियम 30 का संशोधन 9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 30 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम एवं उपनियम (4) को निम्नानुसार अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) मुख्य आरक्षी:– चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची पी.ए.सी. मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को 04 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा 04 माह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों का 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थी, जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हों, उनके पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। पुनः असफल घोषित होने पर उनके पूर्व पद पर वापस कर दिया जायेगा।	(2) मुख्य आरक्षी:–मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत कर्मियों को ऐसा आधारभूत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार व विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। (4) अपर गुल्मनायक:– अपर गुल्मनायक पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा आधारभूत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार व विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय।

नियम 34 का संशोधन 10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 34 के उपनियम (5) को निम्नानुसार अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा अर्थात्:–

(5) अपर गुल्मनायक:– अपर गुल्मनायक की ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी पद पर निर्धारित अंतिम ज्येष्ठता के अनुसार रहेगी।

नियम 35 का संशोधन 11. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 35 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
35. मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना)		35 अपर उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना)	
पदनाम	वेतनमान	पदनाम	वेतनमान
दलनायक (कम्पनी कमाण्डर)	47600–151100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–8	दलनायक (कम्पनी कमाण्डर)	47600–151100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–8
गुल्मनायक (प्लाटून कमाण्डर)	44900–142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–7	गुल्मनायक (प्लाटून कमाण्डर)	44900–142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–7
सहायक उपनिरीक्षक	29200–92300 वेतन मैट्रिक्स लेवल–5	अपर गुल्मनायक	35400–112400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–6
मुख्य आरक्षी पीएसी एवं आईआरबी	25500–81100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–4	मुख्य आरक्षी पीएसी एवं आईआरबी	25500–81100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
आरक्षी पीएसी एवं आईआरबी	21700–69100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–3	आरक्षी पीएसी एवं आईआरबी	21700–69100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–3

नियम 40 का संशोधन

12. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 40 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
40. प्रत्येक दलनायक प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक एवं गुल्मनायक, उप निरीक्षक स.पु., उप निरीक्षक यातायात/घुड़सवार एवं मुख्य आरक्षी/आरक्षी का स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।	40 प्रत्येक दलनायक प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक/गुल्मनायक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, उप निरीक्षक यातायात/घुड़सवार, अपर गुल्मनायक एवं मुख्य आरक्षी/आरक्षी का स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

नियम 41 का संशोधन

13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 41 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
41. प्रत्येक दलनायक प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक एवं गुल्मनायक, उप निरीक्षक स.पु., उप निरीक्षक यातायात/घुड़सवार एवं मुख्य आरक्षी/आरक्षी विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित शस्त्र चालन एवं फायरिंग अभ्यास करेगा।	41. प्रत्येक दलनायक प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक एवं गुल्मनायक, उप निरीक्षक स.पु., उप निरीक्षक यातायात/घुड़सवार, अपर गुल्मनायक एवं मुख्य आरक्षी/आरक्षी विभागाध्यक्ष द्वारा समय–संमय पर निर्धारित शस्त्र चालन एवं फायरिंग अभ्यास करेगा।

परिशिष्ट 12 का अन्तः स्थापन

14. मूल नियमावली में निम्नलिखित परिशिष्ट अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

परिशिष्ट–12

(नियम–22(ग)(घ) देखें)

ज्येष्ठता के आधार पर अपर गुल्मनायक पीएसी(पु./म.), आईआरबी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

पदोन्नति का आधार	1. पदोन्नति अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार होगा।
काडर विभाजन	2. अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आवंटित हो गया हो तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में नियुक्त हो ।
सेवा अभिलेख	3. सेवा अभिलेख विगत 05 वर्षो का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो, विगत 05 वर्षों में दीर्घ दण्ड एवं लघु दण्ड न मिला हो। परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो ऐसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा। अपीलीय/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

ज्येष्ठता का निर्धारण	4. अपर गुल्मनायकों की ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी पद पर निर्धारित अंतिम ज्येष्ठता के अनुसार रहेगी।
पदोन्नति आदेश	5 अपर गुल्मनायक (पीएसी/आईआरबी) के पद पर चयनित मुख्य आरक्षियों को अपर गुल्मनायक (पीएसी/आईआरबी) के पद पर पदोन्नत किये जाने विषयक आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त आधारभूत प्रशिक्षण /व्यहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा।
प्रशिक्षण	6. अपर गुल्मनायक के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को ऐसा अधारभूत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1156/XX-1/2022-01(15) 2021 T.C.**, dated October 20, 2022 for general information.

NOTIFICATION

October 20, 2022

No. 1156/XX-1/2022-01(15) 2021 T.C--In exercise of the powers conferred by section 13 read with sub-section (1) of section 87 of Uttarakhand Police Act, 2007 (Act no. 1 of 2008), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Provincial Armed Constabulary Subordinate Officer Service Rules, 2019:--

The Uttarakhand Provincial Armed Constabulary Subordinate Officer Service (Amendment) Rules, 2022

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Provincial Armed Constabulary Subordinate Officer Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) It shall come in to force at once.

Amendment of rule 2. In the Uttarakhand Provincial Armed Constabulary Subordinate Officer Service Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing rule 2 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
The Uttarakhand Provincial Armed Constabulary (PAC/ IRB) Constable, Head Constable, Chief Platoon Commander, Sub-Inspector Armed Police, Company Commander and Inspector are a subordinate service, comprising group "C" posts.	The Uttarakhand Provincial Armed Constabulary (PAC and IRB) Constable, Head Constable, Additional Platoon Commander, Sub-Inspector Armed Police, Company Commander and Reserve Inspector are a subordinate service, comprising group "C" posts.

Amendment of rule 3. In the principal rule, for the existing rule 3 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
"Selection Commission" means the Uttarakhand Subordinate Selection Commission.	"Selection Commission" means institution/commission authorized by State Government.

Amendment of rule 5. In the principal rule, for the existing sub-rule (c) of rule 5 set out in column-1 shall be inserted as follows below, the previous rule 5(c) as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

"5(c) Cadre wise such Head Constable (PAC/IRB) shall eligible for promotion on the vacant post of Additional Platoon Commander PAC/IRB on the basis of 100 percent by seniority, subject to the rejection of unfit, who have completed the qualifying service of 2 years on the post of Head Constable PAC/IRB on the first day of July of the selection year."

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
5(c) Platoon Commander	**5(c) Platoon Commander**
(1) 50 percent posts shall be filled by direct recruitment through the Uttarakhand Subordinate Selection Commission.	(1) 50 percent posts shall be filled by direct recruitment through institute authorized by the State Government.

(2) 50 percent posts shall be filled by cadre wise promotion amongst Head Constable of P.A.C (Male/Female) I.R.B. and Armed Police who have fulfill the following condition of eligibility through promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.	(2) 50 percent posts shall be filled by cadre wise promotion amongst Additional Sub-Inspector of P.A.C (Male/Female), I.R.B. and Armed Police who have fulfill the following condition of eligibility through promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.
(a) Such Head Constable (Male/Female), who have completed 5 years service as on the first day of recruitment year on the post of Constable (Male/Female).	(a) Such Additional Platoon Commander P.A.C/I.R.B, who have completed 2 years qualifying service as on the first day of recruitment year on the post of Additional Platoon Commander.

Amendment of rule 7 5. In the principal rule, for the existing rule 7 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
7. Determination of vacancies:- The vacancies for direct recruitment shall be notified in the following manner:- (i) By making advertisement in at least 02 daily newspaper which has got wide circulation; (ii) By affixing notice on the notice board of each Office and by advertisement through radio/doordarshan and other employment news paper.	**7. Determination of vacancies:** - The Appointment Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other Categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6, the vacancies to be filled inform the institution/commission authorized by the State Government shall be intimated to them.

Amendment of rule 22 6. In the principal rule, for the existing clause (b) of rule 22 set out in column-1 below, the following clause (c) and (d) as set out in column-2 shall be inserted, namely:-

	Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
	(b) In the sanctioned female companies in PAC, promotion of female Company Commander, female Platoon Commander and female Head Constable shall be made only amongst the female candidate: Provided that for the promotion of Company Commander, female Platoon Commander shall also be eligible as male commander on the basis of seniority.	(b) In the sanctioned female companies in PAC, promotion of female Company Commander, female Platoon Commander, female Additional Platoon Commander and female Head Constable shall be made only amongst the female candidate: Provided that for the promotion of Company Commander, female Platoon Commander shall also be eligible as male commander on the basis of seniority. (c) Cadre wise such Head Constable (PAC/IRB) shall eligible for promotion on the vacant post of Additional Platoon Commander PAC/IRB on the basis of 100 percent by seniority, subject to the rejection of unfit, who have completed the qualifying service of one year on the post of Head Constable PAC/IRB on the first day of July of the selection year. (d) 100 percent by promotion on the vacant posts of Additional Platoon Commander shall be made as per procedure given in Appendix 12 on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.

Amendment of rule 23 7. In the principal rule, for the existing rule 23 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
23. Such trained Head Constable who have completed16years of regular and satisfactory service in their substantive post and who have been sanctioned the pay scale of similar post of Sub-Inspector shall be given the name of Head Constable (promotional pay scale). The uniform of Head Constable (promotional pay scale) shall be same as Assistant Sub-Inspector and their functions shall be determined by the head of department.	**23. Determination of uniform and works of Additional Platoon Commander:-** Additional Platoon Commander incumbent shall wear the uniform like the Platoon Commander, but the whistle and string shall be of black colour. Works of Additional Sub-Inspector incumbent shall be determined by head of department.

Amendment of rule 25

8. In the principal rule, for the existing rule 25 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
25. 50 percent of the posts of Platoon Commander shall filled by promotion on the basis of seniority, subject to rejection of unfit amongst the Head Constable PAC (male/female), IRB and Armed Police who have fulfill the following condition of eligibility through promotion .	25. 50 percent posts shall be filled by cadre wise promotion amongst Additional Sub-Inspector of P.A.C (Male/Female) I.R.B. and Armed Police who have fulfill the following condition of eligibility through promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.

Amendment of rule 30

9. In the principal rule, for the existing sub-rule (2) of rule 30 set out in column-1 below, the following sub-rule (4) as set out in column-2 shall be inserted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
(2) Head Constable:- The list of selected candidate shall be provided to P.A.C. headquarters. The candidate selected for training shall provided 4 months basic training and 3 months practical training and such	(2) Head Constable:- Personnel promoted on the post of Head Constable shall be given such basic training and practical training as may be prescribed by State Government and the head of department.

selected candidate who failed in training shall be required to pass the examination again. After declared fail again they shall be revered back to their post.	(4) Additional Platoon Commander:- Personnel promoted on the post of Additional Platoon Commander shall be given such basic training and practical training as may be prescribed by State Government and the head of department.

Amendment of rule 34 10. In the principal rule, after sub-rule (5) of rule 34 shall be inserted as follows, namely:-

"Additional Platoon Commander:- Seniority of Additional Platoon Commander shall determined as per final seniority on the post of Head Constable."

Amendment of rule 35 11. In the principal rule, for the existing rule 35 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule		Column 2 Rules here by substituted	
28(a) Head Constable and Constable (Civil Police and Intelligence)		**28(a) Head Constable and Constable (Civil Police and Intelligence)**	
Designation	**Pay Scale**	**Designation**	**Pay Scale**
Company Commander	Pay Matrix Level-8 47600-151100	Company Commander	Pay Matrix Level-8 47600-151100
Platoon Commander	Pay Matrix Level-7 44900-142400	Platoon Commander	Pay Matrix Level-7 44900-142400
Assistant Sub-Inspector	Pay Matrix Level-5 29200-92300	Additional Platoon Commander	Pay Matrix Level-6 35400-112400
Head Constable PAC and IRB	Pay Matrix Level-4 25500-81100	Head Constable PAC and IRB	Pay Matrix Level-4 25500-81100
Constable PAC and IRB	Pay Matrix Level 3 21700-69100	Constable PAC and IRB	Pay Matrix Level 3 21700-69100

Amendment of rule 40 12. In the principal rule, for the existing rule 40 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule		Column 2 Rules here by substituted	
40.	Every Company	40.	Every Company

Commander, Reserve Inspector, Traffic Inspector/Platoon Commander, Sub-Inspector Armed Police, Sub-Inspector Traffic/horse rider and Head Constable/Constable shall have to get compulsory medical test as per Government Order issued by Government. Medical test shall be carried out as per rules by the Chief Medical Officer.	Commander, Reserve Inspector, Traffic Inspector/ Platoon Commander, Sub-Inspector Armed Police, Sub-Inspector Traffic/horse rider, Additional Platoon Commander and Head Constable/Constable shall have to get compulsory medical test as per Government Order issued by Government. Medical test shall be carried out as per rules by the Chief Medical Officer.

Amendment of rule 41

13. In the principal rule, for the existing rule 41 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
41. Every Company Commander, Reserve Inspector, Traffic Inspector/Platoon Commander, Sub-Inspector Armed Police, Sub-Inspector Traffic/horse rider, and Head Constable/Constable shall undergo arms training and fire practice as prescribed by Head of Department from time to time.	41. Every Company Commander, Reserve Inspector, Traffic Inspector/Platoon Commander, Sub-Inspector Armed Police, Sub-Inspector Traffic/horse rider, Additional Platoon Commander and Head Constable/Constable shall undergo arms training and fire practice as prescribed by Head of Department from time to time.

Insertion of Appendix 12

14. In the principal rule, the following Appendix shall be inserted namely:-

Appendix-12
(See rule-22(c) (d))
Procedure of promotion on the post of Additional Platoon Commander PAC/(Male/Female), IRB on the basis of seniority

Basis of promotion 1. The promotion shall be made on seniority the basis of rejection of unfit.

Cadre division 2. A candidate has finally allotted the State of Uttarakhand by the Government of India and currently appointed in Uttarakhand.

Service Record 3. The service records for the last 05 years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found to be recorded, no major punishment has been awarded during the last 05 years, no minor punishment has been awarded during the last 05 years and the integrity has not been withheld during the last 05 years:

Provided that personnel against whom any departmental proceedings/inquiry is pending or offence is registered or any kind of appeal is pending or the period of appeal has not elapsed shall also be conditionally included in the promotion on the basis of seniority, If the personnel's appeal is rejected/cancelled from the middle of the promotion process or is punished in the departmental proceedings/ prosecution, then concerned personnel files any writ petition against them, and concerned personnel is fail to inform regarding filing the writ petition to the department on time, then, he/she shall be excluded from the selection process at that level, If the candidate's appeal / departmental proceedings / writ petition is not disposed of during the examination promotion process, his promotion result will be sealed in the envelope in anticipation of the decision of the pending appeal departmental proceedings. Only after the appeal/departmental proceedings are over or the final decision is taken in the case, the sealed envelope of the concerned personnel shall be opened, corresponding to the decision. Suspended personnel shall also be included in the promotion process in anticipation of the decision.

Determination of seniority 4. Seniority of Additional Platoon Commander shall be as per seniority finally determined on the post of Head Constable.

Order of Promotion 5. On the post of Additional Platoon Commander (PAC/IRB), to Head Constable selected for subject to promotional order on the post of Additional Platoon Commander (PAC/IRB) shall be issued by headquarters level. After that basic training/practical training shall be given.

Training 6. Personnel promoted on the post of Additional Platoon Commander (PAC/IRB) shall be given such basic training and practical training as may be prescribed by the head of department.

By Order,

RADHA RATURI,
Additional Chief Secretary.

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

25 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 3538 / तीन–101 / रा0प0 / 2017–18–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–3, देहरादून के शा0सं0–313 / XVIII(3) / 2021–03(10) / 2016, दिनांक मई, 2021 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5 सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–6 की उपधारा–(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या–83 / 31–A–813–1954–Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून जनपद हरिद्वार तहसील लक्सर के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा–4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या–159 / मु0रा0आ0 / (चक0), दिनांक 08 मई, 2003 में आंशिक संशोधन करते हुये तहसील लक्सर के निम्नलिखित ग्रामों को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये इन ग्रामों की विज्ञप्ति को एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ:–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1.	बरम	लक्सर	ज्वालापुर	हरिद्वार
2.	हिरणाखेड़ी	लक्सर	ज्वालापुर	हरिद्वार
3.	सिकन्दरपुर	लक्सर	गोरधनपुर	हरिद्वार
4.	टाण्डा ज्वालापुर	लक्सर	गोरधनपुर	हरिद्वार

विज्ञप्ति

19 मई, 2022 ई0

संख्या 754 / तीन–31 / च0सं0 / 2020–21–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–3, देहरादून के शासनादेश संख्या–746 / XVIII(3) / 2021–03(07) / 2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–52 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर, रूड़की, हरिद्वार एवं भगवानपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है :–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1.	खड़ौली	लक्सर	मंगलौर	हरिद्वार
2.	रसूलपुर बक्काल अहतमाल	लक्सर	मंगलौर	हरिद्वार
3.	अब्दुल रहीमपुर	लक्सर	गोरधनपुर	हरिद्वार
4.	खेड़ी खुर्द	लक्सर	ज्वालापुर	हरिद्वार
5.	सुन्धारी	रूड़की	रूड़की	हरिद्वार
6.	लाठरदेवा शेख	रूड़की	भगवानपुर	हरिद्वार
7.	पुहाना मुस्तहकम	रूड़की	भगवानपुर	हरिद्वार
8.	बिशनपुर झरड़ा अहतमाल	हरिद्वार	ज्वालापुर	हरिद्वार
9.	बिशनपुर झरड़ा मुस्तहकम	हरिद्वार	ज्वालापुर	हरिद्वार
10.	पूरणपुर साल्हापुर	हरिद्वार	रूड़की	हरिद्वार
11.	बंजारेवाला ग्रन्ट	भगवानपुर	भगवानपुर	हरिद्वार

विज्ञप्ति

19 मई, 2022 ई0

संख्या 755/तीन–41/च0सं0/2020–21—जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, हरिद्वार के पत्र संख्या–701/पे0का0, दिनांक 24 अगस्त, 2021 एवं पत्र संख्या–702/पे0का0, दिनांक 24 अगस्त, 2021 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–4 की उपधारा–(2) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 3741/सी0एच0आई0 ई0–454/53, दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके शासनादेश संख्या–727/XVIII(3)2021–07(21)2008, दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के अनुपालन में मैं, चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद हरिद्वार के तहसील रूड़की एवं लक्सर के नीचे अनुसूची में उल्लिखित गांवों में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगी :–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जिला
1	2	3	4	5
1.	मिर्जापुर मुस्तफाबाद अहतमाल	रूड़की	रूड़की	हरिद्वार
2.	फतेहपुर जुनार	लक्सर	ज्वालापुर	हरिद्वार
3.	गिद्धावाली	लक्सर	गोरधनपुर	हरिद्वार

चन्द्रेश कुमार,
संचालक चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 हिन्दी गजट/679–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 नवम्बर, 2022 ई0 (कार्तिक 14, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 11, 2022

No. 326/XIV/a-59/Admin.A/2012--Ms. Payal Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 20 days *w.e.f.* 15.09.2022 to 04.10.2022.

NOTIFICATION

October 12, 2022

No. 327/XIV/a-33/Admin.A/2017--Ms. Minakshi Dubey, Civil Judge (Jr. Div.), Doiwala, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 17 days *w.e.f.* 25.07.2022 to 10.08.2022. with permission to prefix 24.07.2022 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 12, 2022

No. 328/XIV-79/Admin.A/2003--Ms. Neelam Ratra, 2nd Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned child care leave for 16 days *w.e.f.* 15.09.2022 to 30.09.2022.

NOTIFICATION

October 13, 2022

No. 329/XIV/a-39/Admin.A/2017--Ms. Shalini Dadar, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned child care leave of 42 days *w.e.f.* 20.08.2022 to 30.09.2022. with permission to prefix 19.08.2022 as Janmashtami holiday.

NOTIFICATION

October 13, 2022

No. 330/XIV/a-42/Admin.A/2017--Shri Shambhu Nath Singh Sethwal, Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, District Tehri Garhwal is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 12.09.2022 to 26.09.2022. with permission to prefix 10.09.2022 as second Saturday holiday and 11.09.2022 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 13, 2022

No. 331/XIV/a-39/Admin.A/2009--Ms. Jyotsna, Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned child care leave for 30 days *w.e.f.* 10.09.2022 to 09.10.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

October 18, 2022

No. 333/UHC/Admin.(A)/2022--Following Personal Assistants are promoted to the post of Private Secretary in the pay scale of ₹ 67700-208700 (Level-11) in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital with effect from the date of their taking over charge:-

1. Sri Arpan Jaiswal

2. Ms. Naheed Parveen.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA,

Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 हिन्दी गजट/679–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 नवम्बर, 2022 ई0 (कार्तिक 14, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

IT is to inform to the general public that I Mohd Suhail Siddiqui my father name in CBSE Board High School Certificate my Father name MI Siddiqui in place of Mohd Ikram Siddiqui which is incorrect. My father correct name is Mohd Ikram Siddiqui Add-H. No. 95, Van Vihar Colony Mehunwala mafi Dehradun.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Mohd Suhail Siddiqui
S/o Mohd Ikram Siddiqui
Add-H. No. 95, Van Vihar Colony
Mehunwala mafi Dehradun

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़)

भाग 1: अधिनियम (Regulations)

उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 अनुसार

फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) अधिनियम नगर पालिका परिषद् धारचूला

18 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांक 477/सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम–2021/शासकीय प्रकाशन/2021–22–प्रभारी सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशनुसार (Letter No. 597/IV (2) के अनुसार – शा0वि0–2017–50 (सा0) 16 दिनांक 22 मई, 2017), और उत्तराखंड राज्य के संबंधित कानूनों के अनुसार, नगर पालिका परिषद् धारचूला इसके द्वारा अपने अधिकार–क्षेत्र में फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) (FSSM) सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

यह अधिनियम "नगर पालिका परिषद धारचूला स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) अधिनियम, 2021" कहलाएँगे। ये नगर पालिका परिषद धारचूला के अधिकार-क्षेत्र में / पर लागू होंगे।
यह अधिनियम दिनांक 01/04/2022 से प्रभावी हो जाएंगे.

2. अधिकार

यह अधिनियम निम्नलिखित कानून के प्रावधानों को कार्यान्वयन में लाने के लिए सक्षम करता है:

a) उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल, 2017
b) राष्ट्रीय नीति फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम), 2017
c) CPHEEO मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज मैनेजमेंट, 2013
d) मॉडल बिल्डिंग उपनियम, 2016 और अन्य लागू बिल्डिंग कोड
e) मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
f) IS Code 2470 Part I & II, 1985 (Reaffirmed 1996) - Code of Practice for Installation of Septic Tanks (सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए अभ्यास संहिता)
g) केंद्रीय कानून, नियम और विनियम (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986)
h) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
i) उत्तराखंड के समस्त राज्य कानून पानी और स्वच्छता से संबंधित

3. विषय क्षेत्र

यह अधिनियम नगर पालिका परिषद धारचूला की प्रशासनिक सीमा के भीतर FSSM में लगे सभी हितधारकों के लिए लागू है – ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (ओ.एस.एस) (OSS) के स्वामी और उपयोगकर्ता, डीस्लजिंग और सेप्टज ट्रांसपोर्टेशन आपरेटर, सेप्टेज उपचार और निपटान के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय, सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस.एम.सी) – समेत ।
यह अधिनियम नगर पालिका परिषद धारचूला में स्थित सभी भवनों पर लागू होगा चाहे सार्वजनिक या निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, प्रस्तावित, नियोजित या मौजूदा ।

4. सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस.एम.सी) (SMC)

उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 अनुसार, नगर पालिका परिषद धारचूला एक सेप्टेज मैनेजमेंट सैल (SMC) का गठन करेगा जिनमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगे :

S.No.	पद	सदस्य
1.	सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (उप जिलाधिकारी) धारचूला	अध्यक्ष
2.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद धारचूला	सदस्य सचिव
3.	उत्तराखंड जल संस्थान के प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, धारचूला	सदस्य
4.	उत्तराखंड पेयजल निगम के प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता, पेय जल निगम डीडीहाट	सदस्य
5.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय, अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी	सदस्य
6.	स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त चिकित्सालय धारचूला	सदस्य
7.	सफाई निरीक्षक, नगर पालिका परिषद धारचूला	सदस्य

ULB और SMC इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा इसके अंतर्गत संचालन की निगरानी करेंगे और (non-complying actors) पर पेनल्टी लगा सकते हैं । इस अधिनियम में निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए SMC की बैठक समय-समय पर आहूत की जाएगी । अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद धारचूला जो सदस्य सचिव हैं, SMC बैठक बुलाएँगे ।

SMC की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति (Monitoring Committee) द्वारा की जाएगी, जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है।

5. ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (ओ.एस.एस) (OSS) का निर्माण और रखरखाव

यह खंड ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) (जैसे कि सेप्टिक टैंक, गड्ढे, बयो-डाइजेस्टर आदि) के निर्माण और रखरखाव में विभिन्न हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा देता है।

5.1. नगर पालिका परिषद धारचूला में स्थित घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों में ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के स्वामी के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ:

5.1.1. सेप्टिक टैंक/OSS का डिजाइन और निर्माण

- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिसर के शौचालयों में सोख गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक (septic tank with soak pit) या अन्य OSS का ठीक से निर्माण किया गया है, जैसा कि IS Code 2470 भाग I & II, 1985 (Reaffirmed 1996) और CPHEEO मैनुअल, 2013 में उल्लिखित है। (देखें अनुबंध G)
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS का समुचित कार्य हो रहा है ताकि मल या अपशिष्ट का स्राव, रिसना, रिसाव या अन्यथा बचने से पर्यावरण को कोई प्रदूषण न हो । इसके लिए OSS की समय-समय पर मरम्मत का काम (repair or retrofitting) मालिक द्वारा किया जाएगा।
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS में छत का पानी, सतह-पानी, रन-ऑफ (run-off) या बारिश का पानी प्रवेश नहीं करेगा।

- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS से अपशिष्टों (effluents) का सुरक्षित निपटान सोख गड्ढों या सीवर नेटवर्क के माध्यम से किया जाए।

5.1.2. OSS का खाली कराना (डीस्लजिंग) (desludging)

- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS को नियमित रूप से खाली कराएँ (तीन साल में कम से कम एक बार या टैंक दो-तिहाई भरा हो, जो भी पहले हो)।
- स्वामी नगर पालिका परिषद धारचूला को सूचित करेंगे जब सेप्टिक टैंक या containment unit की सफाई करनी है।
- जहाँ स्वामी निजी डीस्लजिंग ऑपरेटर की सेवाएँ ले रहे हैं, वे केवल उन ऑपरेटरों की सेवा लेंगें जिनके पास FSSM सेवाएँ प्रदान करने के लिय ULB द्वारा जारी परमिट या लाइसेंस है।

5.1.3. उपभोक्ता शुल्क का भुगतान

- स्वामी (नगर पालिका परिषद धारचूला) या लाइसेंस-युक्त निजी ऑपरेटरों द्वारा FSSM सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क का उचित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि SMC द्वारा तय किया गया है और बाद में नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा अधिसूचित किया गया है।

5.2. नगर पालिका परिषद धारचूला के कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारियाँ

5.2.1. नगर पालिका परिषद धारचूला में स्थित सभी OSS (septic tank, pits, bio digester etc) की रजिस्ट्री

- नगर पालिका परिषद धारचूला अपने अधिकार क्षेत्र में निर्मित सभी OSS के एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें सभी विवरण होंगे जैसे कि स्वामी का नाम, GPS स्थान, OSS का प्रकार, आकार और स्थिति, खाली करने की आवृत्ति आदि जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है। इसके लिए नगर पालिका परिषद धारचूला सर्वेक्षण या अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता है।
- सभी नए निर्माणों को शामिल करने के लिए OSS की रजिस्ट्री को अपडेट किया जाएगा ।

5.2.2. OSS का उचित निर्माण और डिजाइन सुनिश्चित करना

- नगर पालिका परिषद धारचूला अपने अधिकार-क्षेत्र में पंजीकृत नए निर्माणों को केवल तभी अनुमोदित करेगा जब OSS का निर्माण IS Code 2470 भाग I और II और CPHEEO मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार है । यदि उल्लंघन हैं, नगर पालिका परिषद धारचूला दोषपूर्ण निर्माण के मालिकों को नोटिस जारी करेगा ।
- नगर पालिका परिषद धारचूला, जहाँ संभव हो, OSS को डिजाइन विनिर्देशों के अनुरूप में लाने के लिए रेट्रोफिटिंग (retrofitting) के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा ।

5.3. SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

- SMC नगर पालिका परिषद धारचूला को समय-समय पर निगरानी करने के लिए निर्देशित करेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि OSS का उचित रखरखाव हो ।
- SMC समय-समय पर सभी FSSM से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करेगा जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है ।

6. मल और सेप्टेज का खाली करवाना और परिवहन

यह खंड हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है ताकि नगर पालिका परिषद धारचूला में स्थित OSS रोकथाम इकाइयों (containment units) से मल और सेप्टेज (FSS) का उचित संग्रह/खालीकरन हो सके तथा उपचार और सुरक्षित निपटान / पुन: उपयोग के लिए, इसका निर्धारित साइटों (designated sites/treatment facility) तक सुरक्षित परिवहन हो सके।

6.1. FSS के संग्रह और परिवहन में नगर पालिका परिषद धारचूला के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

6.1.1. डीस्लजिंग (Desludging) और सेप्टेज परिवहन वाहनों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण

- नगर पालिका परिषद धारचूला अपने अधिकार-क्षेत्र में उचित पंजीकरण /लाइसेंस /परमिट के बिना कोई भी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को काम करने की अनुमति नहीं देगा । इसमें निजी-स्वामित्व के साथ-साथ सरकार के वाहन भी शामिल हैं (ULB, Jal Santhan आदि)। इसके अलावा यह नगर पालिका परिषद धारचूला के बाहर से आने वाले वाहनों (दोनों निजी और सरकारी) पर लागू होता है।
- (ULB) डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों को अपने अधिकार-क्षेत्र में संचालित करने के लिए लाइसेंस /परमिट प्रदान करेगा । राज्य FSSM प्रोटोकॉल में उल्लिखित और SMC द्वारा अधिसूचित अनिवार्य तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऑपरेटरों को ही लाइसेंस /परमिट दिए जाएँगे (अनुबंध B देखें)।
- नगर पालिका परिषद धारचूला के बाहर से आने वाले ऑपरेटरों को भी (दोनों निजी और अन्य ULB, जल संस्थान आदि के स्वामित्व वाले) अपने उद्भव के ULB (ULB of origin) द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना है, यदि उन्हें नगर पालिका परिषद धारचूला के भीतर संचालन की अनुमति प्राप्त करनी है । नगर पालिका परिषद धारचूला ऐसे वाहनों के प्रवेश की एक लॉग-बुक (log book) बनाए रखेगा। नगर पालिका परिषद धारचूला में इन वाहनों के संचालन की शर्तें SMC द्वारा उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाएंगी।
- नगर पालिका परिषद धारचूला यह सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटरों के लाइसेंस समय-समय पर नवीनीकृत किए जाएं जैसा कि SMC द्वारा तय किया गया है । लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए अनिवार्य तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। (अनुबंध B)

6.1.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों की प्रप्तिकरण और कर्मचारियों की भर्ती

- नगर पालिका परिषद धारचूला यह सुनिश्चित करेगा कि अपने अधिकार-क्षेत्र FSS के संग्रह और परिवहन के लिए डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पर्याप्त संख्या में हों, या तो नगर पालिका परिषद धारचूला खुद वाहन प्राप्त करे या टेंडर आमंत्रित करके निजी ऑपरेटरों का चयन करें।

- नगर पालिका परिषद धारचूला, अपने वाहनों को चलाने के लिए केवल FSS की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगा।
- जहाँ नगर पालिका परिषद धारचूला निजी ऑपरेटरों की सेवाएँ टेंडर के माध्यम से ले रही है, अनुबंध प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाएगा। नवीनीकरण सशर्त है ऑपरेटर के निष्पादन पर और उनके स्टेट FSSM प्रोटोकॉल में वर्णित और SMC द्वारा अधिसूचित इन वाहनों के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन पर (अनुबंध B)।

6.1.3. डीस्लजिंग ऑपरेटरों की निगरानी

- नगर पालिका परिषद धारचूला यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन वाहन ULB से एकत्र किया FSS केवल SMC द्वारा चिन्हित स्थलों (site)/ उपचार सुविधाओं (treatment facilities) पर निस्तारण करेंगे।
- नगर पालिका परिषद धारचूला सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन टैंकर GPS सिस्टम से युक्त है जिससे उनकी ट्रैकिंग (tracking) की जा सकती है।
- नगर पालिका परिषद धारचूला FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए जॉब-कार्ड (job card) पंजीकृत डीस्लजिंग ऑपरेटरों को प्रदान करेगा हर डिसग्लिंग ऑपरेशन को रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए (फार्मेट के लिये अनुबंध D देखें)। जॉब-कार्ड की एक प्रति OSS के मालिक को सौंप दी जाएँगी, एक दूसरी प्रति निपटान स्थल पर, और तीसरी प्रति नगर पालिका परिषद धारचूला कार्यालय में जमा की जाएगी । इस जॉब-कार्ड पर OSS के मालिक, डीस्लजिंग ऑपरेटर, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर और ULB के नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- नगर पालिका परिषद धारचूला, भुगतान का प्रमाण दिखाने के लिए OSS मालिकों को रसीदें प्रदान करेगा।
- नगर पालिका परिषद धारचूला इन विनियमों के उल्लंघन में पाए जाने वाले ऑपरेटरों पर penalty / दंड लगाएगा। (अनुबंध F)
- नगर पालिका परिषद धारचूला किसी भी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द करेगा जो लाइसेंस नवीनीकृत करने में विफलता करे, या इन नियमों या मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन करे ।

6.1.4. नगर पालिका परिषद धारचूला की अन्य जिम्मेदारियाँ

नगर पालिका परिषद धारचूला निम्नलिखित जिम्मेदारियां भी निभाएगा:

- अपने अधिकार-क्षेत्र में सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय को निर्दिष्ट अंतराल पर खाली करवाना या जब टैंक दो-तिहाई भरा हुआ हो, जो भी पहले हो ।
- नगर पालिका परिषद धारचूला सीमा के भीतर स्थित भवनों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना और उन मालिकों या भवनों को नोटिस / जुर्माना जारी करना जो इस अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।
- नगर पालिका परिषद धारचूला डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परमिट के लिए अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा।
- नगर पालिका परिषद धारचूला अपनी वेबसाइट और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर समय-समय पर लाइसेंस-प्राप्त /पंजीकृत ऑपरेटरों की सूची को प्रकाशित करेगा।

- नगर पालिका परिषद धारचूला, प्रत्येक डीस्लजिंग ऑपरेशन के बाद घरों से एकत्र किए जाने वाले फीडबैक फॉर्म प्रदान करेगा।
- नगर पालिका परिषद धारचूला, App-आधारित / फोन कॉल / SMS आधारित डीस्लजिंग सेवाओं जैसे विकल्पों की खोज कर सकता है, जो नगर पालिका परिषद धारचूला को वास्तविक समय (real-time) के आधार पर डेटाबेस को अपडेट करने और उपभोक्ता फीडबैक (user feedback) से अवगत कराने में मदद करे।
- शेड्यूल्ड डीस्लजिंग (Scheduled Desludging) - अधिनियम की धारा 5.1.2 में वर्णित समय-अवधि के अनुसार नगर पालिका परिषद धारचूला अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थित OSS को खाली करने के लिए मासिक कार्यक्रम (monthly schedule) विकसित कर सकता है।

6.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारियाँ

6.2.1. परमिट / लाइसेंस के लिए आवेदन और मानकों के अनुपालन

- जो भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद धारचूला के अधिकार-क्षेत्र में FSS के संग्रह और परिवहन के लिए सेवाएँ प्रदान करना चाहता है, वह नगर पालिका परिषद धारचूला, से अपेक्षित लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। (अनुबंध C1)
- आवेदन देने से पहले, आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके वाहन डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिये SMC द्वारा अधिसूचित तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं । इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि टैंकर पानी-तंग और रिसाव-प्रूफ (water-tight and leak-proof tankers) हो, और यांत्रिक desludging उपकरण (mechanical desludging equipment) के साथ युक्त हो (अनुबंध B)। इसके अतिरिक्त केवल FSS की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही काम पर रखेंगे।
- ऑपरेटरों को लाइसेंस के लिये आवेदन के समय, और नवीनीकरण के समय, SMC द्वारा परिभाषित शुल्क का भुगतान करना होगा । (धारा 6.3.2)
- लाइसेंस-प्राप्त / पंजीकृत ऑपरेटर समय-समय पर अपने लाइसेंस / परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे जैसा कि SMC द्वारा तय किए गए ।

6.2.2. संचालन के मानदंडों के अनुपालन

- ऑपरेटर SMC द्वारा तय किए गए और नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा अधिसूचित किए गए संचालन के सभी मानदंडों का पालन करेगा। (अनुबंध C2)
- ऑपरेटर नगर पालिका परिषद धारचूला की सभी निगरानी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे जैसे कि सेप्टेज संग्रह और परिवहन टैंकरों पर जीपीएस ट्रैकिंग (GPS tracking) सक्षम करना ।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई के समय और निपटान के समय के बीच का अंतर 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.2.3. अधिसूचित दरों के अनुसार फीस का निर्धारण

- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे डीस्लजिंग सेवाओं के लिए SMC द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक शुल्क OSS मालिकों से नहीं लेंगे।

6.2.4. दस्तावेजों का रखरखाव

- ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा प्रदान किए गए जॉब-कार्ड (job card) OSS के मालिक, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर/ ऑपरेटर, डीस्लजिंग ऑपरेटर, और नगर पालिका परिषद धारचूला अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे, और प्रतियाँ प्रत्येक को सौंपी जाएँगी । (अनुबंध D)
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा जारी ऑपरेटर लाइसेंस की एक प्रति और मोटर वाहन पंजीकरण (motor vehicle registration) को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

6.2.5. श्रमिकों की सुरक्षा और सेप्टेज परिवहन के दौरान सावधानियों का पालन :

- लाइसेंस-युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर FSS के केवल यांत्रिक संग्रह (mechanical desludging) और परिवहन में संलग्न होंगे, और 'मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के सभी नियमों का अनुपालन करेंगे।
- ऑपरेटर सभी कर्मचारी को SMC द्वारा निर्धारित अपेक्षित सुरक्षा गियर (safety gear) प्रदान करेंगे।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS संग्रह और परिवहन में लगे सभी कर्मचारी पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से हर साल कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करवाएँ और नगर पालिका परिषद धारचूला के रिकॉर्ड में जमा करें।
- ऑपरेटर अपने द्वारा नियोजित, सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित सभी व्यक्तियों का बीमा करेंगे ।
- सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, वाहन या पर्यावरण को होने वाली किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस-युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। ऑपरेटर ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि नगर पालिका परिषद धारचूला / अदालत द्वारा अधिसूचित है।
- FSS के परिवहन के दौरान आकस्मिक रिसाव की स्थिति में, ऑपरेटर तुरंत उसको नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करेगा, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा, और साफ-सफाई की प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। ऑपरेटर 24 घंटे में नगर पालिका परिषद धारचूला के संबंधित अधिकारियों को रिसाव और उसकी उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे । इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लाइसेंस-युक्त ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

6.3. SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

6.3.1. सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क निर्धारित करना

- सेप्टेज संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क डीस्लजिंग संचालन के ओ.&एम. की व्यय आवश्यकता (Operation & Maintenance cost) पूरा करने के लिए प्रयुक्त होगा। SMC यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता शुल्क न्यूनतम रखा जाए। सभी दरों का निर्धारण हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि उपभोक्ता (OSS के स्वामी) पर कोई अनुचित बोझ नहीं है या ऑपरेटरों या नगर पालिका परिषद धारचूला को कोई अनुचित नुकसान नहीं होगा, और FSSM गतिविधियों को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।
- SMC नगर पालिका परिषद धारचूला को निर्देश दे सकता है कि उपभोक्ता शुल्क को संपत्ति कर (property tax) में शामिल करें।
- SMC यह भी निर्धारित करेगा कि उपयोगकर्ताओं से एकत्र उपयोगकर्ता शुल्क नगर पालिका परिषद धारचूला (सुविधा शुल्क), जल संस्थान धारचूला (O & M शुल्क) और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर (सेवा शुल्क) के बीच कैसे साझा किया जाएगा।
- SMC संबंधित हितधारकों की उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर इन दरों को संशोधित करेगा और उनको सूचित करेंगे।

6.3.2. लाइसेंसिंग शुल्क को निर्धारित करना

- लाइसेंस देने के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के लिए SMC एक मामूली आवेदन शुल्क निर्धारित करेगा। शुल्क का भुगतान चेक (cheque) या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद धारचूला के नाम पर निम्नानुसार होगा:
  डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पंजीकरण शुल्क (2000/वर्ष के लिए)
  i. प्रारंभिक पंजीकरण शुल्क: रु 2000/- प्रति वाहन
  ii. पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क: रु 1500/- प्रति वाहन

  शुल्क संशोधन के अधीन होंगे (अवधि और दर SMC द्वारा तय किया जाएगा) (सभी दरें उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से SMC द्वारा तय किया जाएगा और नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा अधिसूचित किया जाएगा)।

6.3.3. निगरानी की गतिविधियाँ

- SMC, आवश्यकता के अनुसार, सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिए निष्पादन मानकों (performance standards) को जारी करेगा।
- SMC नगर पालिका परिषद धारचूला में चलने वाले सेप्टेज परिवहन वाहनों के आवधिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं।
- यदि ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन पाया जाता है, तो SMC नगर पालिका परिषद धारचूला को सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देगा।
- SMC कोई भी ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन के लिए दंड को परिभाषित करेगा। (अनुबंध F)

6.3.4. शिकायत निवारण

- SMC FSSM सेवाओं से संबंधित शिकायतें OSS के मालिकों, डीस्लजिंग ऑपरेटरों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से स्वीकार करेगी। यदि आवश्यक हो, SMC अपीलीय निकाय (Appellate

Body) या शिकायत निवारण क्रियाविधि (Grievance Redressal Mechanism) बना सकते हैं।

7. मल और सेप्टेज (FSS) का उपचार और पुन:उपयोग/ निपटान

7.1. SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :

7.1.1. उपचार और निपटान स्थल को चिन्हित करना

- SMC नगर पालिका परिषद धारचूला से 20-25 कि.मी. के भीतर लाइसेंसधारी सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों द्वारा FSS के निपटान के लिए स्थान / उपचार केन्द्र को चिन्हित करेगा और उसको अधिसूचित करेगा ।
- CPHEEO की Draft Advisory on Land Application of Faecal Sludge, 2020 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां उपचार की सुविधा (STP/ FSTP) उपलब्ध नहीं है तथा अस्थायी उपाय के रूप में, SMC FSS की वैज्ञानिक लैंड एप्लिकेशन (scientific land application) को अधिसूचित कर सकती है।

7.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर पालिका परिषद धारचूला से एकत्र किया गया FSS, केवल SMC द्वारा अधिसूचित साइट या उपचार केन्द्र में निपटाया जाएगा।
- डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट-युक्त FSS (FSS containing industrial waste) का परिवहन या निपटान नहीं किया जाएगा।

7.3. उपचार केन्द्र एजेंसी के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :

- उपचार केन्द्र के ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर के पास नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा जारी वैध लाइसेंस या परमिट है।
- उपचार केन्द्र के प्रबंधक (plant manager) नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा जारी किए गए FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान के रिकॉर्ड (job card) पर हस्ताक्षर करेगा जो निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा उत्पादित किया जाएगा।
- उपचार केन्द्र के संचालक FSS के निपटान के लिए टिपिंग शुल्क (tipping fee) के लिए रसीद प्रदान करेंगे।
- उपचार केन्द्र सेप्टेज के उपचार के लिए उपयुक्त तकनीक अपनाएगी। इसके अलावा, उपचार के बाद निस्तारण किया स्लज और अपशिष्ट जल (sludge and wastewater) को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जारी मानदंडों का पालन करना चाहिए। समय-समय पर उपचारित अपशिष्टों का परीक्षण करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे डिस्चार्ज मानकों (discharge criteria) के अनुरूप हैं।
- उपचार अंतिम उत्पाद (उपचारित अपशिष्ट जल और स्लज सहित) का अधिकतम पुन: उपयोग, मानकों और मानदंडों के अनुसार, सुनिश्चित करेगा। उपचारित अपशिष्ट जल का उद्योगों, बिजली संयंत्र, सिंचाई और बागवानी उद्देश्य से पुन: उपयोग किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट

जल को विभिन्न पुन: उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही नदी / जल में डाला जाएगा।

- *FSS के निपटान के लिए असाधारण परिस्थितियाँ:* यदि उपचार केन्द्र के अधिक भार (overloading) या FSS की अवांछनीय गुणवत्ता (undesirable quality) के कारण उपचार केन्द्र FSS को स्वीकार करने में असमर्थ है, उपचार केन्द्र संचालक को सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को अस्वीकृति का कारण लिखित में देना होगा संबंधित कर्मियों के हस्ताक्षर के साथ। इस स्थिति में, सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को सेप्टेज को SMC द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थान पर निपटान करना होगा।

7.4. नगर पालिका परिषद धारचूला के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :

- नगर पालिका परिषद धारचूला उत्तराखंड पेयजल निगम, उत्तराखंड जल संस्थान और उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य एजेंसी की सहायता से, मौजूदा या आगामी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) में फीकल स्लज और सेप्टेज के सह-उपचार (co-treatment) की क्षमता की पहचान कर सकते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से STP परिसर में सेप्टेज के उपचार और निपटान के लिए आवश्यक आधारिक संरचना तैयार कर सकते हैं।
- नगर पालिका परिषद धारचूला उपचारित FSS के पुन: उपयोग की संभावनाओं का पता लगाएगा। खाद के रूप में फिर से उपयोग के लिए, इसे किसानों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा।

8. IEC गतिविधियाँ

नगर पालिका परिषद धारचूला) FSSM के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये समय-समय पर निम्नलिखित IEC और क्षमता निर्माण (capacity building) गतिविधियों का कार्य करेगा:

- OSS मालिकों, राजमिस्त्री आदि को वैज्ञानिक रूप से OSS का डिजाइन, निर्माण तकनीक, इसके आकार आदि के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए IEC को बढ़ावा देना।
- FSSM में लगे कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए SOP (MoHUA 2018) के आधार पर सभी डीस्लजिंग ऑपरेटरों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।

भाग 2: अनुबंध (Annexures)

I. अनुबंध A1 - परिभाषाएं

सेप्टेज प्रबंधन में मूल परिभाषा के लिए निम्नलिखित व्याख्याएं प्रदान की गई हैं:

फीकल स्लज - यह गड्ढे शौचालय, सेप्टिक टैंक, एक्वा प्राइवेट और इंडी टॉयलेट जैसे ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के तल पर जमा हुआ पदार्थ हैं, जो कच्चा है या आंशिक रूप से पचा हुआ है, और घोल या अर्धनिर्मित रूप में होता है

सेप्टेज - सेप्टिक टैंक, सेसपूल, या इस तरह के ऑनसाइट उपचार सुविधा से पंप की जाने वाली तरल और ठोस (मैल, स्लज और ग्रीस) पदार्थ जब यह समय के साथ जमा हो जाता है । इसमें कई रोग पैदा करने वाले जीव के साथ ग्रीस, ग्रिट, बाल और मलबे के संदूषण होते हैं

एफ्लुएंट (effluent) - सेप्टिक टैंक से सतह पर तैरनेवाला तरल निर्वहन। इसे नालियों और सीवरों के नेटवर्क में एकत्र किया जा सकता है और उचित रूप से डिजाइन किए गए उपचार केन्द्र में उपचार किया जा सकता है

ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) - स्वच्छता प्रणाली जहां मल और अपशिष्ट जल एकत्र किया जाता है और उसी स्थान पर संग्रहीत या उपचारित किया जाता है। गड्ढे शौचालय और सेप्टिक टैंक इसके उदाहरण हैं

सेप्टिक टैंक - एक भूमिगत टैंक जो अपशिष्ट जल का उपचार ठोस पदार्थों के अवसादन (sedimentation) और अवायवीय पाचन (anaerobic digestion) के माध्यम से करता है। अपशिष्ट को सोखता गड्ढों या छोटे बोर के सीवरों में डाला जा सकता है। सेप्टिक टैंक के तल पर जमा होने वाले स्लज को समय समय पर खाली करने और उपचारित करने की आवश्यकता होती है (जब यह निर्धारित गहराई तक पहुंच जाता है या निश्चित डीस्लजिंग आवृति (desludging frequency) पर)

डीस्लजिंग (Desludging) - सेप्टिक / इम्होफ टैंक, इंटरसेप्टर टैंक या अवसादन टैंक जैसे उपचार टैंकों से स्लज/कीचड़ या जमा हुए ठोस पदार्थ को निकालना

सीवेज - शौचालय से निर्वहन किया गया अपशिष्ट जल जिसमें मानव शरीर के अपशिष्ट पदार्थ (मल और मूत्र आदि), भंग या असंगत, होते हैं। सेप्टिक टैंक या इस तरह की किसी भी सुविधा से निकलने वाली अपशिष्ट भी सीवेज है

सीवरेज सिस्टम - सीवेज के संग्रह के लिए भूमिगत नाली को सीवर कहा जाता है। सीवरेज सिस्टम सीवर के नेटवर्क को कहलाता है जो प्रत्येक संपत्ति से उत्पन्न सीवेज को सीवेज पम्पिंग स्टेशन तक ले जाता है, जहां से इसे उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पंप किया जाएगा

उपचार (treatment) - यह निर्दिष्ट सुविधाओं में सेप्टेज के आगे के प्रसंस्करण को संदर्भित करता है जिस्से इसका पुन: उपयोग या सुरक्षित निपटान हो सकता है

सह-उपचार (co-treatment) - STP पर फीकल स्लज और सेप्टेज (FSS) का सह-उपचार एक उपचार प्रक्रिया है जिसमें STP FSS को प्राप्त करता है, इसका पूर्व-उपचार करता है, और उचित प्रक्रिया इकाइयों (process units) में वितरित करता है।

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन (Septage Transportation Vehicles) - वैक्यूम पंपों से युक्त वाटर-टाइट, लीक-प्रूफ टैंकर जो OSS से FSS के सुरक्षित संग्रह, इसके सुरक्षित परिवहन और निर्दिष्ट सेप्टेज उपचार सुविधाओं में इसके निपटान के लिए उपयोग किया जाता है

सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस.एम.सी) (SMC) - ULB स्तर पर FSSM गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित निकाय जिसमें सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), अधिशासी अधिकारी, उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड पेयजल निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी सलाहकार शामिल हैं

II. अनुबंध A2 - लघुरूप

FSS - Faecal Sludge and Septage

FSSM - Faecal Sludge and Septage Management

FSTP - Faecal Sludge Treatment Plant

OSS - Onsite Sanitation Systems

SMC - Septage Management Cell

STP - Sewage Treatment Plant

ULB - Urban Local Body

III. अनुबंध B - डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें (तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताएं)

सभी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परिचालक, निजी या ULB के स्वामित्व वाले, सेप्टेज के सुरक्षित संग्रहण और परिवहन के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तों को पूरा करेंगे। ये शर्तें ULB द्वारा डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं । इन प्रावधानों का उल्लंघन लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा और उल्लंघन करने वाला ऑपरेटर निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनिवार्य शर्तें		
तकनीकी आवश्यकताएं	**हाँ**	**नही**
OSS और मैनहोल का पता लगाने और मैनहोल खोलने के लिए बेलचा, pry बार, स्क्रूड्राइवर्स और अन्य हाथ उपकरण		
FSS पंपिंग और OSS में पानी मिलाने के लिए होज़ (Hose)		
टैंकर रिसाव-प्रूफ, गंध-प्रूफ और स्पिल-प्रूफ (leak-proof, odour-proof and spill-proof) है और उचित सक्शन और डिस्चार्ज उपकरण से युक्त है		
टैंकर ULB द्वारा ट्रैकिंग और निगरानी के लिए GPS से युक्त है		
किसी भी औद्योगिक अपशिष्ट (industrial waste) के परिवहन के लिए टैंकर का उपयोग नहीं किया जाता है		
प्रशासनिक आवश्यकताएँ	**हाँ**	**नही**
वाहन के पास मोटर वाहन विभाग से पंजीकरण प्रमाणपत्र है		
वाहन के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध प्रमाणपत्र है		
वाहन के सभी नामित ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं		
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन के लिए नियुक्त सभी कर्मचारियों के पास पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (health certificate) हैं		
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन को नीला रंग दिया गया है जिस पर सफेद रंग में 'SEPTIC TANK WASTE' अंग्रेजी में और 'मलकुंड अपशिष्ट' हिंदी में लिखा है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है		
सुरक्षा आवश्यकताएँ	**हाँ**	**नही**
सभी कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (personal protective gear) से लैस हैं जैसे कि हार्ड हैट (hard hat) और कपड़े जो परावर्तक और रासायनिक-स्प्लैश प्रतिरोधक (reflective and chemical splash resistant) है		
फेस मास्क / रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, सूक्ष्मजीवों आदि से बचाता है		
सुरक्षात्मक हाथ दस्ताने, जूते और सुरक्षा चश्मे (glove, boot, safety goggles)		
आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा किट (first aid kit)		
डिसइंफेक्टैंट और स्पिल्ड सामग्रियों को इकट्ठा करने और साफ करने के लिए बैग		
अन्य सुरक्षा गियर जो लागू है		
अन्य आवश्यकताएं	**हाँ**	**नही**
सभी कर्मचारियों / श्रमिकों को समय-समय पर प्रशिक्षण (वर्ष में कम से कम एक बार) प्रदान किया जाना है (उपकरण के उचित उपयोग, स्लज के सुरक्षित संग्रह, परिवहन और निपटान का संचालन, और प्राथमिक चिकित्सा पर)		
सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों की आवधिक स्वास्थ्य जांच (वर्ष में कम से कम एक बार) की गई है और सेप्टेज के		

संग्रह, परिवहन और निपटान में लगे सभी कर्मचारियों के फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) प्रस्तुत की गई		

IV. अनुबंध C1 - नगर पालिका परिषद धारचूला में सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान की लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र

V.

Application form for License to Collect, Transport and Dispose FSS Nagar Palika Parishad Dharchula

1 Name(s) of the applicant (Mr./Ms.): _____

2 Nationality: (Indian/ Other): _____

3 Address of correspondence: _____

Self Attested Recent Passport Size Photograph

4 Address of Head Office or Registered Office: _____

5 Contact No. : (O): _____ (M): _____

6 Email ID: _____

7 Details of Vehicles

	Registration no of Vehicles	Type of Vehicle	Model No.	Tank Capacity (litres)	GPS Details	Insurance Valid Upto	Pollution Certificate valid Upto
i							
ii							
iii							
iv							

8 Fitness Certificate of Vehicles Valid Upto:
(i) _____ (ii) _____
(iii) _____ (iv) _____

9 List of attached documents (self attested):
Identity Proof
Pollution certificates
Fitness Certificate
Certificate of Insurance and policy schedules
Registration certificates
Address Proof
Driving License

सेप्टेज परिवहन वाहन का मालिक नोटरीकृत रु.10 ई-स्टांप पर अपने कर्मचारियों की संख्या तथा उनके नाम, पिता का नाम, पता और शैक्षिक योग्यता का विवरण, उनके ड्राइविंग लाइसेंस के प्रति के साथ, देंगे।

पंजीकरण शुल्क का भुगतान CASH / D.D.No. _____ के माध्यम से किया गया है।
दिनांक: _____ बैंक का नाम:_____

मैं / हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में यथार्थ है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने 'फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) अधिनियम नगर पालिका परिषद धारचूला, 2021' पढ़ा और समझा है। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक: _____ संलग्न दस्तावेज की संख्या: _____

आवेदकों के हस्ताक्षर:

VI. अनुबंध C2 - नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा जारी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन के लिये लाइसेंस / पंजीकरण

ULB LOGO

Nagar Palika Parishad Dharchula

LICENSE

In accordance with all the terms and conditions of the By-laws/ Regulations and any amendments made there under, Municipalities act rules, the special lisence conditions accompanying this lisence and applicable rules and laws of Government of Uttarakhand, the permission is hereby granted to:

License Holder's Name:

Address of Head/Regd Office:

Photo

For the collection, transportation and disposal (at designated sites/ STPs) of faecal sludge and septage from onsite containments in __Name of ULB___.

Lisence No. :

Issuing Authority:

Effective Date:

Valid upto:

Details of Vehicle:

This license shall be subject to the compliance by the license holder of the conditions stated overleaf.

Signature and Seal of Issuing Authority

संचालन के नियम और शर्तें -

1. लाइसेंसधारी 'फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) अधिनियम नगर पालिका परिषद धारचूला, 2021' के प्रावधानों का अनुपालन करेगा
2. लाइसेंसधारी सभी गतिविधियों को इस तरह निष्पादित करेगा ताकि इस्सुइंग अथॉरिटी / SMC द्वारा जारी किए गए मानकों को प्राप्त कर सकें
3. लाइसेंसधारी सभी स्थानीय विधानों का अनुपालन करेगा, जो इस लाइसेंस के तहत की जा रही गतिविधियों के लिए समय-समय पर लागू हो सकते हैं
4. लाइसेंसधारी निर्दिष्ट वाहनों को अच्छी और व्यावहारिक स्थिति में बनाए रखेगा ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके
5. लाइसेंसधारी केवल प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त करेगा और ऐसे सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक गियर प्रदान करेगा। कर्मियों को एक ऑनसाइट रोकथाम इकाई (onsite containment unit) में प्रवेश करने और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। असाधारण स्थितियों में, यह केवल अपेक्षित सावधानियों, सुरक्षा उपकरणों और नगर पालिका परिषद धारचूला की अनुमति के साथ किया जा सकता है
6. यह लाइसेंस किसी भी अन्य सामग्री या तरल पदार्थ या किसी भी प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट के संग्रह और परिवहन के लिए मान्य नहीं है
7. इस्सुइंग अथॉरिटी / SMC/ULB इस लाइसेंस की शर्तों को बदलने या इस लाइसेंस की वैधता के दौरान समय-समय पर आगे की शर्तों को लागू करने का अधिकार रखता है
8. लाइसेंसधारी ऑपरेटर को ULB द्वारा निर्देशित सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान की पर्याप्त और सही रिकॉर्ड बनाए रखना है
9. लाइसेंसधारी नगर पालिका परिषद धारचूला की सभी निगरानी आवश्यकताओं का पालन करेंगे जैसे कि टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग (GPS Tracking) स्थापित करना । उसके एक्सेस राइट्स (access rights) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद धारचूला या (ULB) द्वारा अधिसूचित एजेंसी को दिए जाएंगे ताकि वाहन को ट्रैक (track) किया जा सके
10. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को केवल उन उपचार स्थलों पर ही ले जाया जाएगा जो (ULB / SMC) द्वारा निर्दिष्ट हैं
11. FSS का परिवहन, सुरक्षा और दक्षता के लिए और व्यस्त सड़कों और पीक ट्रैफिक से बचने के लिए, पूर्व-निर्धारित मार्गों द्वारा किया जाएगा
12. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए
13. लाइसेंसधारी लाइसेंस-प्राप्त गतिविधियों के लिए नीचे दी गई फीस और शुल्क लगाएगा[1]

क्र.सं.	गतिविधि	शुल्क

[1] उचित प्रक्रिया से सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा निर्णय लिया जाना है और यूएलबी द्वारा अधिसूचित किया जाना है

VII. अनुबंध D - नगर पालिका परिषद धारचूला में FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

<table>
<tr><td colspan="5">नगर पालिका परिषद धारचूला में फीकल स्लज और सेप्टेज (FSS) के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड</td></tr>
<tr><td colspan="3">दिनांक:</td><td colspan="2">समय:</td></tr>
<tr><td colspan="5">1. ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के स्वामी का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="3">नाम:</td><td colspan="2">पता:</td></tr>
<tr><td colspan="3">संपर्क नंबर:</td><td colspan="2">स्थापना का प्रकार:</td></tr>
<tr><td colspan="5">2. OSS सिस्टम का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="3">निर्माण का वर्ष:</td><td colspan="2">पिछली डीस्लजिंग (दिनांक):</td></tr>
<tr><td colspan="3">आउटलेट (outlet) मौजूद है (हां / नहीं):</td><td colspan="2">यदि हाँ, तो इससे जुड़ा:</td></tr>
<tr><td colspan="3">कन्टैन्मेंट (containment) का आकार:</td><td>परत (हां / नहीं):</td><td>दीवारें:
तल:</td></tr>
<tr><td colspan="3">कक्षों की संख्या:</td><td colspan="2">प्रत्येक बाफिल वाल (baffle wall) में छिद्र की संख्या:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">आयाम (मीटर में)</td><td>लंबाई:</td><td>चौड़ाई:</td><td>गहराई:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">व्यास:</td><td colspan="2">गहराई:</td></tr>
<tr><td>GPS कोऑर्डिनेट</td><td colspan="2">अक्षांश (Latitude):</td><td colspan="2">देशांतर (Longitude):</td></tr>
<tr><td colspan="5">संपत्ति के भीतर कन्टैन्मेंट का स्थान:</td></tr>
<tr><td colspan="5">3. डीस्लजिंग (Desludging)</td></tr>
<tr><td colspan="3">FSS की मात्रा (क्यूबिक मीटर में):</td><td colspan="2">डीस्लजिंग में समय (घंटे में):</td></tr>
<tr><td colspan="3">यात्रा की लंबाई (कि.मी. में):</td><td colspan="2">आने-जाने में समय (घंटे में):</td></tr>
<tr><td colspan="5">4. डीस्लजिंग सेवा प्रदाता का विवरण</td></tr>
<tr><td>ऑपरेटर का नाम:</td><td colspan="2">वाहन पंजीकरण नंबर:</td><td colspan="2">(ULB) लाइसेंस नंबर:</td></tr>
<tr><td colspan="5">5. हस्ताक्षर</td></tr>
<tr><td>ड्यूटी पर कर्मचारी:</td><td colspan="2">ऑपरेटर:</td><td colspan="2">OSS स्वामी:</td></tr>
<tr><td colspan="5">6. निर्दिष्ट साइट / उपचार केंद्र पर निपटान</td></tr>
<tr><td colspan="3">समय (hh:mm):</td><td colspan="2">FSS की मात्रा (क्यूबिक मीटर में):</td></tr>
<tr><td colspan="3">सेप्टेज परिवहन कर्मचारियों का नाम:</td><td colspan="2">STP / FSTP ऑपरेटर का नाम:</td></tr>
<tr><td colspan="5">7. हस्ताक्षर</td></tr>
<tr><td>ड्यूटी पर सेप्टेज परिवहन कर्मचारी:</td><td>वाहन मालिक:</td><td>STP/FSTP ऑपरेटर:</td><td colspan="2">ULB अधिकारी:</td></tr>
</table>

VIII. अनुबंध E – नगर पालिका परिषद धारचूला में डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन सेवाओं के लिये उपभोक्ता शुल्क की सूची[2]

S. No.	वर्ग	रुपये में शुल्क (प्रति चक्कर 3000 लीटर तक)	सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए अंतराल
1.	Kuccha house/Hut	1500/-	3 वर्ष
2.	Tin Shed type house	1500/-	3 वर्ष
3.	All other house (Pucca House)	3000/-	3-5 वर्ष
4.	Shop	3000/-	3-5 वर्ष
5.	All govt./Private offices	2500/-	2-4 वर्ष
6.	Bank	4000/-	2-4 वर्ष
7.	Community Toilet/Public Toilet	3500/-	2-3 वर्ष
8.	Restaurant	2500/-	2-4 वर्ष
9.	Hotel/Guest House 01 to 10 Rooms	4000/-	2-4 वर्ष
10.	Hotel Guest House 11 to 20 Rooms	4500/-	2-3 वर्ष
11.	Govt. school/college (up to 1000 students)	2500/-	2-3 वर्ष
12.	Private school/college (up to 1000 students)	3000/-	2-3 वर्ष
13.	2-wheeler vehicle showroom (without service centre)	2500/-	3-4 वर्ष
14.	4-wheeler vehicle showroom (without service centre)	5000/-	3-4 वर्ष
15.	Marriage hall/Banquet hall	4000/-	2-3 वर्ष
16.	Bar	4000/-	2-5 वर्ष
17.	Govt. Hospital (upto 20 Beds)	3500/-	2-4 वर्ष
18.	Nursing home/Clinic (upto 20 Beds)	3500/-	2-4 वर्ष
19.	Pathological lab	3500/-	3-5 वर्ष
20.	Private Hospital upto 20 beds	4000/-	2-4 वर्ष
21.	Private Hospital above 50 beds	8000/-	2-4 वर्ष
22.	ANY OTHER TYPE	3000/-	2-4 वर्ष

नोट: उपभोक्ता शुल्क संशोधन के अधीन होगा (SMC द्वारा तय की जाने वाली अवधि और दर पर)

[2] परामर्श प्रक्रिया से सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा निर्णय लिया जाना है और सभी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन सेवा प्रदाताओं को सूचित किया जाना है

IX. अनुबंध F– Fines and Penalty[3]

S. No.	प्रकार	अधिनियम (आग संख्या)	सांकेतिक जुर्माना (Rs. में)	कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई
1.	नाली / सड़क / खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा या असुरक्षित निर्वहन		5000/-	
1.1.	दूसरी बार उल्लंघन		7000/-	
1.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे		10000/-	
2.	OSS का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण		4000/-	
2.1.	दूसरी बार उल्लंघन		5000/-	
2.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे		10000/-	
3.	बिना ULB से पंजीकरण के डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का संचालन		5000/-	
3.1.	दूसरी बार उल्लंघन		8000/-	
3.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे		10000/-	
4.	ट्रैफ़िक नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण के बिना डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का संचालन		5000/-	
4.1.	दूसरी बार उल्लंघन		छ माह तक के लिए परमिट निरस्त	
4.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे		परमिट निरस्त	
5.	आकस्मिक रिसाव को नियंत्रित करने में गैर-अनुपालन		5000/-	
5.1.	दूसरी बार उल्लंघन		छ माह तक के लिए परमिट निरस्त	
5.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे		परमिट निरस्त	
6.	FSTP / STP से अनुपचारित FSS का निर्वहन		5000/-	
6.1.	दूसरी बार उल्लंघन		छ माह तक के लिए परमिट निरस्त	
6.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे		परमिट निरस्त	
7.	(ULB / SMC) द्वारा सूचित किए गए स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर अनुपचारित FSS का निर्वहन		5000/-	
7.1.	दूसरी बार उल्लंघन		छ माह तक के लिए परमिट निरस्त	
7.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे		परमिट निरस्त	

[3] उचित प्रक्रिया से सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा निर्णय लिया जाना है और यूएलबी द्वारा अधिसूचित किया जाना है

अनुबंध G – ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई (Onsite Sanitation Containment Unit) का निर्माण विवरण

यह अनुबंध एक साधारण सेप्टिक टैंक के डिजाइन और निर्माण के विवरण की समझ देना है देता है, जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) में उपयोग किए जाने वाले कई प्रकार के ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई में से एक है।
यहां दिए गए विवरण गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (MoHUA) और केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) द्वारा "मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स",2013 से तैयार किए गए हैं (http://cpheeo.gov.in/cms/manual-on-sewerage-and-sewage-treatment.php)
इस मैनुअल के भाग A - अध्याय 9 का शीर्षक 'ऑन-साइट सैनिटेशन' - सेप्टिक टैंक के निर्माण, संचालन और रखरखाव के विवरण के लिए संदर्भित किया जा सकता है।
(http://cpheeo.gov.in/upload/uploadfiles/files/engineering_chapter9.pdf)

i. सेप्टिक टैंक क्या है?

सेप्टिक टैंक एक संयुक्त अवसादन और पाचन टैंक (combined sedimentation and digestion tank) हैं जहां सीवेज एक से दो दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यहां, निलंबित ठोस टैंक के नीचे तक बस जाते हैं और एनारोबिक पाचन से गुजरते हैं। यह स्लज की मात्रा और जैव-निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थों में कमी के साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों की रिहाई का कारण बनता है।
सेप्टिक टैंक से बहने वाले अपशिष्ट जल आगे के उपचार की आवश्यकता होती है, और एक उचित सीवरेज सिस्टम में निपटान किया जाना चाहिए ।
सेप्टिक टैंक केवल व्यक्तिगत घरों और छोटे समुदायों और संस्थानों के लिए अनुशंसित हैं, जिनकी आबादी 300 से अधिक नहीं है।

ii. सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक को पर्याप्त मात्रा में डिजाइन किया जाना चाहिए, और उचित इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। वे आम तौर पर आकार में आयताकार होते हैं और या तो एक सिंगल टैंक या एक डबल टैंक हो सकते हैं। जहां डबल टैंक होता है, पहला कंपार्टमेंट आमतौर पर दूसरे के आकार से दोगुना होता है। तरल की गहराई 1-2 मीटर है और लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 2-3 से 1. है (चित्र A1 देखें)

सेप्टिक टैंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि टॉयलेट अपशिष्ट का ठोस हिस्सा तल पर बस जाए और सतह पर मैल (scum) जमा हो जाए। इन दो परतों (स्लज और मैल, sludge and scum) के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए ताकि केवल सीवेज बहता है। इसलिए, सेप्टिक टैंक को टॉयलेट अपशिष्ट के लिए स्थिर स्थिति (stilling conditions) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि निलंबित ठोस वस्तु (suspended solids) को व्यवस्थित किया जा सके।

स्लज और मैल के संचय के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करके, टॉयलेट अपशिष्ट सेप्टिक को 24 से 48 घंटे का अवधारण समय के लिए टैंक का डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से खाली किया जाना चाहिए (1 - 3 वर्षों में एक बार)।

व्यक्तिगत घरों (20 उपयोगकर्ताओं तक) और आवास कालोनियों (300 उपयोगकर्ताओं तक) के लिए सेप्टिक टैंकों के अनुशंसित आकार क्रमशः टेबल A-1 और A-2 में नीचे दिए गए हैं।

टेबल A-1: 20 उपयोगकर्ताओं तक सेप्टिक टैंक के अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ताओं की संख्या	लंबाई (m)	चौड़ाई (m)	सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m)	
			2 साल	3 साल
5	1.5	0.75	1.0	1.05
10	2.0	0.90	1.0	1.40
15	2.0	0.90	1.3	2.00
20	2.0	1.10	1.3	1.80

नोट:

a) यहां सिफारिश की गई क्षमताएं इस धारणा पर हैं कि सेप्टिक टैंक में केवल शौचालय अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। अन्य सभी अपशिष्ट जैसे कि रसोई का कचरा पानी, नहाने का पानी, सिंक से पानी का निकास, आदि को सीधे सीवेज सिस्टम में डाला जाएगा।

b) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (mm) का एक फ्रीबोर्ड (freeboard) शामिल होना चाहिए।

c) सेप्टिक टैंक का आकार IS:2470 (part 1) से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जाएगी।

Table A- 2: 300 उपयोगकर्ताओं तक की आवासीय कॉलोनी के लिए सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ताओं की संख्या	लंबाई (m)	चौड़ाई (m)	सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m)	
			2 साल	3 साल
50	5.0	2.00	1.0	1.24
100	7.5	2.65	1.0	1.24
150	10.0	3.00	1.0	1.24
200	12.0	3.30	1.0	1.24
300	15.0	4.00	1.0	1.24

नोट:

a) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (mm) का एक फ्रीबोर्ड (freeboard) शामिल होना चाहिए।

b) सेप्टिक टैंक का आकार IS:2470 (part 1) से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जाएगी।

c) 100 से अधिक की आबादी के लिए, टैंक को, रखरखाव और सफाई के लिए, स्वतंत्र समानांतर कक्षों में विभाजित किया जा सकता है।

iii. **निर्माण विवरण**

सेप्टिक टैंक का निर्माण करते समय निम्नलिखित विवरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए

- सेप्टिक टैंकों का निर्माण ईंट के काम, पत्थर की चिनाई या कंक्रीट के इन-सीटू या प्री-कास्ट सामग्रियों में किया जा सकता है। एस्बेस्टस सीमेंट / एचडीपीई (HDPE) जैसी सामग्रियों से बने प्री-कास्ट टैंक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वे पनरोक हों और स्थिर धरती (static earth) और सुपरिम्पोज्ड लोड (superimposed loads) को संभालने और स्थापित करने में पर्याप्त ताकत रखते हों
- सभी सेप्टिक टैंक पर्याप्त शक्ति के पनरोक कवर के साथ प्रदान किए जाएंगे। टैंक के निरीक्षण और खाली करने के लिए पर्याप्त एक्सेस मैनहोल (न्यूनतम दो, अधिक लंबी दिशा की विपरीत छोरों पर एक-एक) भी प्रदान किए जाएंगे
- टैंक का फर्श सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए और स्लज आउटलेट की ओर ढलान वाला होना चाहिए। सतहों को चिकना करने और उन्हें पनरोक करने के लिए फर्श और साइड की दीवार दोनों को सीमेंट मोर्टार से प्लास्टर किया जाएगा
- टैंक के इनलेट और आउटलेट को एक-दूसरे से यथासंभव दूर और विभिन्न स्तरों पर स्थित होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें उन स्तरों पर स्थित नहीं होना चाहिए जहां स्लज या मैल (sludge or scum) का निर्माण होता है
- आउटलेट पाइप के इनवर्ट को इनलेट पाइप के इनवर्ट के स्तर से 5 -7 cm के नीचे रखा जाना चाहिए
- इनलेट और आउटलेट दोनों पर बाफ़ल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 25 cm से 30 cm तरल में डुबना चाहिए और तरल से 15 cm ऊपर रहना चाहिए। बफल्स को सीधे इनलेट पाइप के मुंह से टैंक की लंबाई के एक-पांचवें हिस्से की दूरी पर रखा जाना चाहिए
- बड़ी क्षमताओं के लिए, इनलेट से टैंक की लंबाई की दो-तिहाई की दूरी पर विभाजन-दीवार के साथ निर्मित दो-कम्पार्टमेंट टैंक उचित होगा। ये दो कम्पार्टमेंट को स्लज भंडारण स्तर से ऊपर परस्पर जुड़ा होना चाहिए, पाइप या चौकोर उद्घाटन के माध्यम से, जिसका व्यास या साइड लंबाई 75 mm से कम नहीं है
- प्रत्येक सेप्टिक टैंक को वेंटिलेशन पाइप के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, शीर्ष एक उपयुक्त मच्छर प्रूफ वायर मेष के साथ कवर किया जा रहा है। पाइप की ऊंचाई 20 मीटर के दायरे में उच्चतम इमारत के शीर्ष से कम से कम 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए।

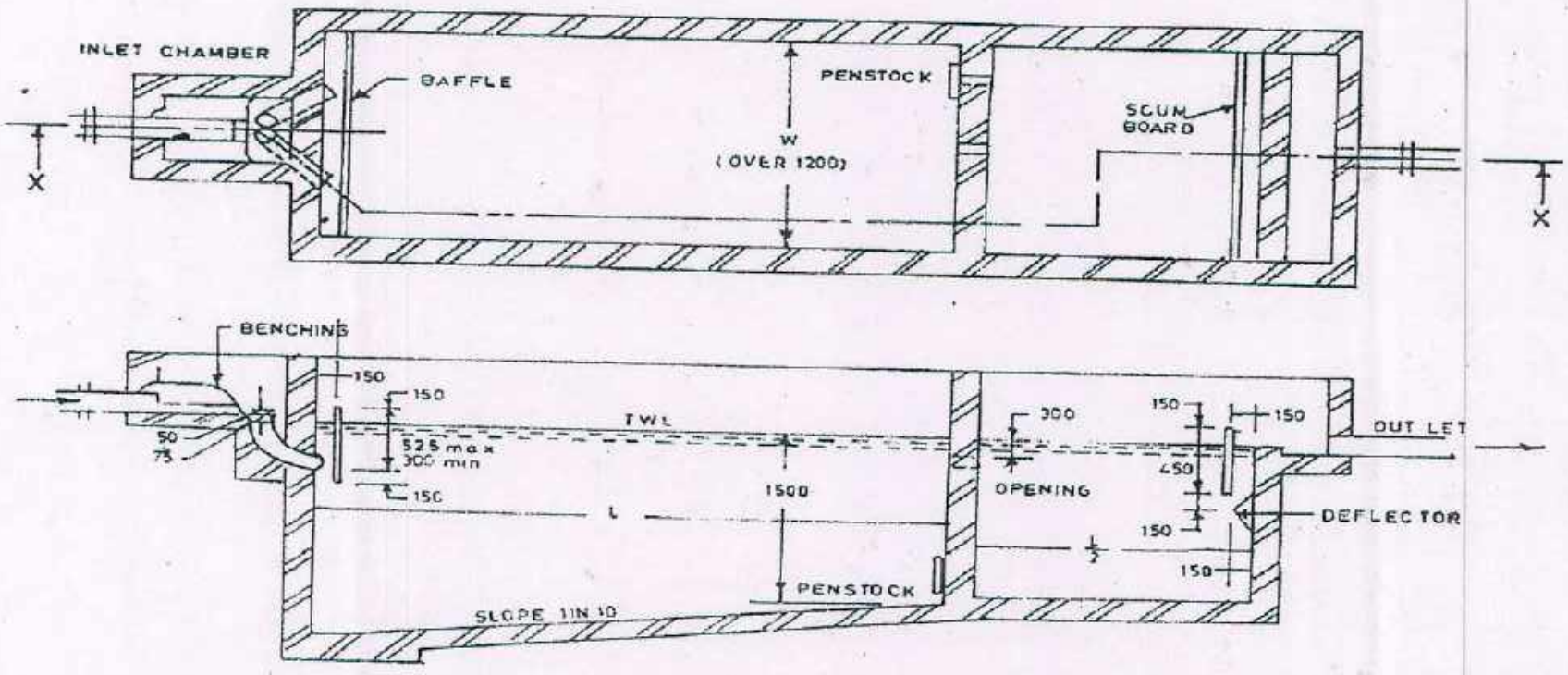

SECTION XX

ALL DIMENSIONS IN mm

Figure F-1: Typical sketch of two compartment septic tank for populations over 50 as per IS:2470 (Part 1), 1985

ह0 (अस्पष्ट)

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद्, धारचूला

(पिथौरागढ़)

ह0 (अस्पष्ट)

अध्यक्ष,

नगर पालिका परिषद्, धारचूला,

(पिथौरागढ़)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 हिन्दी गजट/679—भाग 8—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।